नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.12 से 31.03.14

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

1. प्रधान

अवधि	नाम
1.4.12 से 31.3.14	श्री संजय सिंघल

2 कार्यकारी अधिकारी :–

अवधि	नाम
1.4.12 से 2.10.13	श्री सुशील मित्तल
3.10.13 से 3.3.14	श्री सुंदर सिंह नेगी
10.3.14 से 31.3.14	श्री के0एस0 ठाकुर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	अनुदान की धनराशि को योजनाओं के धीमी गति से क्रियान्वयन करने के कारण अवरूद्ध करना	6 (1)	1013.77
2	दो वर्षों से अधिक अवधि तक की अनुदान राशि का उपयोग न करना	6 (6)	52.41

3	अनुदान में से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना	6 (4)	46.05
4	विविध अग्रिमों के रूप में दी गई राशियों की वसूली शेष होना	9	43.40
5	नगर परिषद निधि से पैन्शन का अनियमित भुगतान	10(i) (iii)	1.81
6	सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ब्याज का निधि से अधिक भुगतान	15	0.43
7	रोकड़ बही में प्राप्त आय की गणना कम करना	19 (1)	1.06
8	लीज धारकों से शेष वसूली	19 (2)	45.75
9	दुकानों/शोरूमों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की शेष वसूली	19(9) (1)	20.00
10	स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	24	37.59
11	वेतन व भत्तों का अधिक/अनियमित भुगतान	19 (2)	45.75
12	विभिन्न त्योहारों/दिवसों के शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापनों पर अपव्यय	29	0.74
13	सफाई कर्मचारियों की सेवाओं का Optimum उपयोग न करने के कारण परिषद निधि पर प्रतिवर्ष सम्भावित अतिरिक्त प्रभार	32	6.95
14	सीमेन्ट को सरकारी उपक्रम के माध्यम से क्रय करने की अपेक्षा स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय करने पर सम्भावित वित्तीय हानि	44	6.94
15	भण्डार वस्तुओं का सम्भावित दुर्विनियोजन	47	21.57

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट **"क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद पौंटा साहिब के अवधि 01.04.12 से 31.03.2014 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए है, दिनाँक 09.06.2014 से 23.08.2014 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक तथा श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद पौंटा साहिब स्थित कार्यालय में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 03/2013 तथा 03/2014 एवं व्यय के लिए 01/2013 तथा 06/2013 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद कार्यालय पौंटा साहिब द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 4/2012 से 3/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹38400/–आँका गया जिसे रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पौंटा साहिब से सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105 दिनाँक 20.8.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹38400/– पंजाब नैशनल बैंक पौंटा साहिब के डिमांड ड्राफ्ट संख्य UMK 157447 दिनांक 21.08.14 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्या MCP/Acctts/2013-14-596 दिनांक 22.08.14 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(1) नगर परिषद पौंटा साहिब की अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के लेखाओं पर आधारित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹) में	आय/प्राप्तियाँ (₹) में	कुल योग (₹) में	व्यय (₹) में	अन्तिम शेष (₹) में
2012–13	स्वतः स्त्रोत	8122288.88	14337904.00	22460192.88	14360377.00	8099815.88
	अनुदान	55432752.00	44795684.00	100228436.00	17140156.00	83088280.00
	कुल जोड़	**63555040.88**	**59133588.00**	**122688628.88**	**31500533.00**	**91188095.88**
2013–14	स्वतः स्त्रोत	8099815.88	20068763.55	28168579.43	6147358.55	22021220.88
	अनुदान	83088280.00	44956407.00	128044687.00	2666773.00	101376914.00
	कुल जोड़	**91188095.88**	**65025170.55**	**156213266.43**	**32815131.55**	**123398134.88**

दिनाँक 31.3.14 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष ₹123398134.88

दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही/बही खातों के अनुसार शेष ₹123398134.88

(परिशिष्ट "ख")

दिनाँक 31.3.14 को वित्तीय स्थिति एवं बही खातों में दर्शाए गये शेषों में अन्तर

(123398134.88–123398134.88) शून्य

दिनाँक 31.3.14 को विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के शेष ₹123573141.88

(परिशिष्ट "ख")

दिनाँक 31.3.13 को रोकड़ बही/बही खातों एवं विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के शेष में अन्तर (123398134.88–123573141.88)=(–)175007 (रोकड़ बही/बही खातों में कम लेखाकिंत की गई असल (net) राशि)

अन्तर (–) 175007 के कारण **(परिशिष्ट "ख")**

टिप्पणीः– रोकड़ बही के अनुसार 31.3.12 को अन्तिम शेष ₹63555040.88 था। इससे स्पष्ट होता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/10 से 03/12 में दर्शाई गई वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरण के अनुसार रोकड़ बही के अन्तिम शेष में जो ₹15120/– का अन्तर हाउस रेंट की वसूली को आय में गलत जोड़ने के कारण दर्शाया गया था, उसका समाधान 31.3.12 से पूर्व ही किया जा चुका था।

(2) बैंक समाधान विवरणीः–

नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.3.14 को उपलब्ध करवाई गई विभिन्न बैंक्स की बैंक समाधान विवरणी (**परिशिष्ट "ख"**) की पड़ताल पर निम्नलिखित विभिन्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(i) हिमाचल प्रदेश स्टेट कोप्रेटिव बैंक, पौंटा साहिबः–

नगर परिषद द्वारा इस खाते से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार **(विवरण परिशिष्ट "ख")** नगर परिषद द्वारा ₹700/– का चैक (चैक संख्या 294913 दिनाँक 17.8.13) भुगतान हेतु जारी किये गया था जोकि 31.3.14 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये था। अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी न तो इस चैक का विवरण तथा न ही कोई दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट हो सके कि 31.3.14 के पश्चात इस चैक की राशि का भुगतान हो गया था या नहीं अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अब इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार (**विवरण परिशिष्ट "ख")** नगर परिषद के खाते में ₹41413/– का चैक (चैक संख्या 012031 दिनाँक 22.03.14) जमा किया गया था जोकि 31.3.14 तक हेतु बैंक खाते में जमा (credit) नहीं हुआ था। अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी न तो इस चैक का विवरण तथा न ही कोई दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट हो सके कि 31.3.14 के पश्चात इस चैक की राशि बैंक खाते में कब जमा हुई, अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अब इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) पंजाब नैशनल बैंक, पौंटा साहिबः–

इस खाते से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार (**विवरण परिशिष्ट "ख")** नगर परिषद द्वारा ₹2600/– का चैक (चैक संख्या 368143 दिनाँक 22.11.13) भुगतान हेतु जारी किया गया था जोकि 31.3.14 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी न तो इस चैक का विवरण तथा न ही कोई दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट हो सके कि 31.3.14 के पश्चात इस चैक की राशि का भुगतान हो गया था अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं

किया गया। अतः अब इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार (**विवरण, परिशिष्ट "ख"**) नगर परिषद की रोकड़ बही में ₹15/– का अधिक भुगतान किया गया दर्शाया गया था जबकि बैंक ने यह भुगतान ₹15/– कम किया था। अतः इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पौंटा साहिबः–

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार (**विवरण परिशिष्ट "ख"**) नगर परिषद को निवेश के परिपक्व होने पर दिनाँक 24.01.14 को ₹203994/– ब्याज के रूप में प्राप्त हुए थे जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.14 तक नहीं की गई थी। अतः इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति व अनियमितताएंः–

(क) नगर परिषद द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हेतु अलग से रोकड़ बही का रख रखाव किया गया था। परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख व सूचना पर आधारित वर्णित योजना की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः– (**परिशिष्ट "ग"**)

वित्तीय वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹) में**	**अनुदान प्राप्तियाँ (₹) में**	**ब्याज से आय (₹) में**	**कुल योग (₹) में**	**व्यय (₹) में**	**अन्तिम शेष (₹) में**
2012–13	807244.39	1343939	48759	2199942.39	1270	2198672.39
2013–14	2198672.39	10000	87554	2296226.39	35000	2261226.39

टिप्पणीः– पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 तक के पैरा 15 में 31.03.12 को रोकड़ बही व बैंक के अन्तिम शेष में ₹7754.39 का जो अन्तर रोकड़ बही में बैंक ब्याज की गणना के कारण दर्शाया गया था उसका समाधान बैंक ब्याज की गणना रोकड़ बही में इन्द्राज कर दिया गया था। अतः रोकड़ बही में अन्तिम शेष ₹799490+7754.39=₹807244.39 पाया गया तथा यथानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 का आरम्भिक शेष ₹807244.39 लिया गया है।

दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	₹2261226.39
दिनाँक 31.3.14 को बैंक के अनुसार शेष	₹2261226.39
अन्तिम शेष में अन्तर	**शून्य**

(ख) ₹22.61 लाख की अनुदान राशि का उपयोग न करने के कारण पात्र जनता को योजना के लाभों से वंचित करनाः–

वित्तीय स्थिति से स्पष्ट विदित होता है कि प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग न के बराबर अर्थात मात्र 1.5**%** ही हुआ था जबकि शेष 98.5**%** अनुदान की राशि बैंकों में अनुपयुक्त जमा पड़ी थी। योजना हेतु उपलब्ध धनराशि का 100**%** उपयोग न करने के कारण ₹22.61 लाख की सरकारी निधि न केवल अवरूद्ध हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की जनता को सरकार की इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ रहा है। यह स्थिति निदेशक/सचिव, स्थानीय शहरी निकाय, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में अनुदानों का समयानुसार 100**%** उपयोग सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाई जाती है सरकार की योजना का लाभ सम्बन्धित लोगों को समय से पहुँच सके।

(ग) ₹22.61 लाख को सावधिक जमा (FDRs) की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ब्याज से होने वाली अतिरिक्त आय की सम्भावित हानिः–

₹22.61 लाख की इतनी बड़ी धन राशि को बैंक के बचत खाते में जमा रखा गया था जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था तथा ऐसा करने के कारण परिषद को ब्याज से होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ रहा है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार छोटे–छोटे गुणकों में राशि को अल्पकालिक सावधिक जमा (FDRs) में निवेश करना सुनिश्चित किया जाये ताकि योजना के क्रियान्वयन में भी कोई बाधा न हो और साथ में उपलब्ध संसाधानों से अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो।

6 अनुदानः–

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "घ"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 04/2012 से 03/2014 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवम व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(1) दिनाँक 31.3.2014 को ₹1013.77 लाख अनुदान की अनुपयुक्त राशिः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नविवरण अनुसार वित्तीय वर्ष में नगर परिषद अनुदान से उपलब्ध कुल धन राशि में से औसतन केवल 19% राशि ही खर्च कर पाई थी तथा शेष ₹1013.77 लाख (31.3.14) की धनराशि बैंकों में अनुपयुक्त जमा पड़ी थीः—

वित्तीय वर्ष	अनुदान का आरम्भिक शेष (₹) में	वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशि (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशि में से व्यय (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से व्यय की प्रतिशतता	अन्तिम शेष
2012—13	55432752	44795684	100228436	17140156	17.10%	83088280
2013—14	83088280	44956407	128044687	26667773	20.83%	101376914

इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न योजनाओं हेतु उपलब्ध धनराशि का 100% उपयोग न करने के कारण ₹1013.77 लाख की सरकारी निधि अवरूद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की जनता को सरकार की विकासात्मक योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। यह स्थिति निदेशक/सचिव, स्थानीय शहरी निकाय, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में अनुदानों की धनराशि का समयानुसार 100% उपयोग सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाई जाती है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सम्बन्धित लोगों को समय से पहुँच सके।

(2) अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करनाः—

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को अवधि 04/2012 से 03/2014 के दौरान अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बार—बार आग्रह करने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे संशय होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए है। वर्णित सूचना के अभाव में उपयोगिता प्रमाण पत्र की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए

जाएें और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जानें के साथ–2 जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(3) 4th FC से प्राप्त अनुदान पर ₹80676/– का अनुचित प्रभारः–

अनुदान लेखों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री अलीजान, बेलदार को पैन्शन की बकाया राशि ₹80676/– का भुगतान वाउचर संख्या 27 दिनाँक 14.03.14 (रोकड़ बही पृष्ठ–287) द्वारा नगर परिषद निधि से किया गया ओर इसका प्रभार 4th FC से प्राप्त अनुदान पर डाला गया (बही खाता पृष्ठ 206) जोकि अनुचित है क्योंकि वास्तविकता में नियमानुसार वर्णित व्यय पैन्शन निधि से वहन किया जाना था। अतः इस अनियमितता का समाधान ₹80676/– पैन्शन निधि से नगर परिषद निधि, शीर्ष 4th FC से प्राप्त अनुदान को हस्तांतरण करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) अनुदान में से ₹46.05 लाख वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करनाः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार शीर्ष 4th FC व 13th FC के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान राशि का केवल 20% भाग ही वेतन व मजदूरी पर व्यय किया जा सकता है किन्तु अनुदान लेखों की सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 में शीर्ष 4th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान राशि में से निर्धारित मापदंड 20% से अधिक ₹4605094 वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया था जोकि अनुदान उपयोग सम्बन्धी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकुल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता को या तो सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा शीर्ष 4th FC के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की भरपाई सम्बन्धित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

वित्तीय वर्ष	शीर्ष 4th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि (₹) में	निर्धारित मापदंड 20% की दर से जो व्यय वेतन व मजदूरी पर किया जाना चाहिए था (₹) में	वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया (बही खाता पृ0–207 (₹ में)	निर्धारित मापदंड 20% से अधिक वेतन व मजदूरी पर किया गया व्यय (₹) में
2013–14	17837628	3567526	8172620	4605094

(5) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹160047/– की अनुदान राशि को नगर परिषद निधि में जमा करनाः–

अनुदान लेखों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹160047/– की अनुदान राशि (**परिशिष्ट "घ"**) को नगर परिषद निधि के बैंक खाते में जमा किया गया था जबकि वर्णित अनुदान राशि को पृथकता से रखे गये सम्बन्धित योजना के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए था। इस अनियमितता का सुधार अब ₹160047/– की अनुदान राशि को नगर परिषद निधि के खाते से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के खाते में हस्तांतरण करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6) दो वर्षों से अधिक अवधि तक ₹52.41 लाख अनुदान राशि का उपयोग न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार दो वर्षों से अधिक अवधि तक ₹52.41 की अनुदान राशि अनुपयोग पड़ी थीः–

क्रमाँक	अनुदान लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष 01.4.12 (₹) में	व्यय 1.4.12 से 31.3.14 तक (₹) में	अन्तिम शेष 31.3.14 (₹) में
1	Solid Waste Management	3813965	Nil	3813965
2	EFC (11th FC)	177854	Nil	177854
3	NORAD	5705	Nil	5705
4	S.C.S.T. Grant	13650	Nil	13650
5	Community Latrine grant	90000	Nil	90000
6	Calamity Relief fund	1064728+75395 (receipt during the year)=1140123	Nil	1140123
	कुल जोड़	**5241297**	**Nil**	**₹5241297**

अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों में आमतौर पर अनुदानों को उपयोग करने की अवधि एक से दो वर्ष तक निर्धारित की गई होती है। इस प्रकार उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि परिषद द्वारा योजनाओं हेतु उपलब्ध धनराशि का 100**%** उपयोग न करके बचत खाते में जमा रख कर सरकारी धन को, अनुदान की उपयोग समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी अवरूद्व रखा गया था जोकि सरकार द्वारा अनुदान उपयोग सम्बन्धी जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः अब या तो उक्त अनुदान की राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित उद्देश्यों हेतु समयानुसार खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित स्त्रोत को लौटाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 निवेशः–

(I) निवेशों पर ₹170/– कम ब्याज प्राप्त होने बारेः–

सावधि जमा खाता में किये गये निवेशों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार निवेशों पर बैंकों द्वारा लगभग ₹170/– ब्याज कम दिया गया प्रतीत होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अपने स्तर पर पड़ताल करके यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तथा कम प्राप्त हुए ब्याज की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम/ब्याज की दर/अवधि	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	सावधि जमा सं0	सावधि जमा की राशि	परिपक्व राशि (क) (₹)	जितनी परिपक्व राशि प्राप्त होनी चाहिए थी (ख) (₹)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (₹) (क–ख)
एस0बी0आई0 (ए0डी0बी0)/ 9.25**%** 1 वर्ष	10.9.11	9.9.12	3193205246	2500000	2739226	2739396	170
						कुल योग	**170**

(ii) ₹131834/– का लेख जोखा न दर्शानाः–

नगर परिषद के निवेश रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये निवेशों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निवेशों की परिपक्वता के पश्चात प्राप्त हुई परिपक्वता राशियों तथा उससे पुनः निवेशित व बचत खाते में जमा राशि में अन्तर था जिनका

विवरण निम्नानुसार है। इस विषय पर चर्चा के दौरान न तो कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ और न ही इन राशियों के नगर परिषद निधि में जमा करवाए जाने से सम्बन्धित कोई अभिलेख ही अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹131834/– का लेखा जोखा आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंक का नाम	**निवेश की तिथि**	**निवेश की गई राशि (₹)**	**निवेश की परिपक्वता की तिथि**	**निवेश की परिपक्व राशि (क) (₹)**	**पुनः निवेश की तिथि/परिपक्व राशि के बचत खाते में जमा करवाने की तिथि**	**पुनः निवेशित राशि (ख) (₹)**	**जितनी राशि कम निवेश की गई/बचत खाते में कम जमा की गई (क–ख)**
एस0बी0आई0 (ए0डी0बी0)	1.11.10	1110580	8.5.12	1243566	8.5.12	1233471	10095
एस0बी0आई0 (ए0डी0बी0)	12.5.11	3589544	1.5.11	4122507	17.11.12	4082682	39825
एस0बी0आई0	20.9.12	3400710	29.3.14	3876316	29.3.14	3830481	45835
एस0बी0आई0 (ए0डी0बी0)	10.9.11	2500000	9.9.12	2739226	9.9.12	3713247	25979
एस0बी0आई0	3.12.12	2138654	3.12.13	2326317	19.12.13 (दिनाँक जिस दिन बैंक बचत खाते (संख्या 11283797226) में परिपक्व राशि जमा करवाई गई परिपक्व राशि पुनः निवेशित नहीं की गई थी	2319541 (परिपक्वता राशि का जितना भाग बैंक बचत खाते में जमा करवाया गया)	6776 (बचत खाते में परिपक्व राशि का जितना भाग कम जमा करवाया गया था)
यू0बी0आई0	23.9.11	500000 (1250000X4)	20.9.11	5478792 (1369698 x4)	23.9.12	5475468 (5429018 पुनः निवेशित राशि (+) 46450 बचत खाते में जमा करवाई गई राशि)	3324
						कुल योग	**₹131834**

(iii) नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.3.2014 को किये निवेशों की स्थिति यथा **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न है।

8 सरप्लस फंडस को नियमानुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक में जमा न करने बारेः–

नगर परिषद ने दिनाँक 31.3.2014 को विभिन्न बैंकों में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 20 खाते खुलवा रखे थे जिनमें से अधिकतम खाते राष्ट्रीकृत तथा निजी बैंक्स में थे जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या फिन आई0एफ0 (ए) 1–68/91–v फाईनैंस डिपार्टमैन्ट (आई0एफ0) दिनाँक शिमला–171002, 16.11.08 में दिए गये निर्देशों की अवहेलना है। इन निर्देशों के अनुसार सरप्लस फंडस को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंकस में निवेश किया जाना अपेक्षित है जोकि नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में सरप्लस फंडस का निवेश उपरोक्त पत्र में दिए गये निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 विविध अग्रिमों के रूप में दी गई राशि ₹4340434/– समायोजन हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा उपलबध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट "च"**) के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को ₹4340434/– विविधि अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली/समायोजन हेतु विशेष कदम उठाये जाऐं व की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त परिशिष्ट में वर्णित बहुत सी राशियाँ ऐंसी है जोकि पिछले कई वर्ष पूर्व बतौर स्टाफ अग्रिम के रूप में दी गई थी तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में दिए गए प्रावधानानुसार एक माह के भीतर ऐसी अग्रिम राशियो ंका समायोजन किया जाना वाँछित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः ऐसे समस्त मामलों के सन्दर्भ में वसूली दण्ड ब्याज सहित नियमानुसार सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 **पैन्शन, ग्रेजुटी एवं सी0पी0एस0 फंडः–**

(1) पैन्शन फंड (Pension Fund)

(i) अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पैन्शन फंड की वित्तीय स्थिति (**परिशिष्ट "छ"** के अनुसार) निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अन्तिम शेष
2012–13	3403790	1277816	4681606	1865125	2816481
2013–14	2816481	1126580	3943061	1897201	2045860

दिनाँक 31.3.14 को बैंक समाधान विवरणः–

दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	₹2045860 (क)
दिनाँक 31.3.14 को बैंक पास बुक के अनुसार बचत खाते में शेष	₹45860
दिनाँक 31.3.14 को सावधि जमा शेष	₹2000000
दिनाँक 31.3.14 को बचत खाते तथा सावधि जमा का कुल शेष	₹2045860
दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही एवं बैंक खाते के शेष (बचत खाता+सावधि जमा) के शेष में अन्तर	शून्य

(ii) बैंक से लगभग ₹7187/– ब्याज प्राप्त न किये जाने बारेः–

पैन्शन खाते से सम्बन्धित सावधि जमा की पड़ताल पर पाया गया कि बैंक द्वारा दिनाँक 8.3.14 को सावधि जमा की परिपक्व राशि ₹2186167/– को अवधि 9.3.14 से 1.4.14 तक अपने पास रखा परन्तु इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया। इस बारे चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि परिपक्व होने के पश्चात इस सावधि जमा का आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किया गया था। यह परिपक्वत राशि अवधि 9.3.14 से 1.4.14 के दौरान बैंक में ही पड़ी रही तथा दिनाँक 2.4.14 को इसे बचत खाता संख्या 14606 में जमा करवाई गया था। इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित बैंक ने यह राशि दिनाँक 8.3.14 को सावधि जमा के परिपक्व होने के पश्चात 9.3.14 से 1.4.14 तक अपने पास 24 दिन के लिए रखी परन्तु इस पर कोई ब्याज नहीं दिया। यदि इस राशि पर बचत खाते के आधार पर भी ब्याज दिया जाता तो 24 दिन के लिए 5**%** की दर से लगभग ₹7187/– बनता था। अतः यह मामला

सम्बन्धित बैंक से उठा कर तथा ₹7187/– ब्याज की वसूली करके तथा नगर परिषद निधि में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) पैन्शन फंड से सम्बन्धित रोकड़ बही की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 02/2014 (पृष्ठ संख्या 16) में पैन्शन फंड में शेष न होने के कारण मासिक पैन्शन देय राशि ₹181341/– का भुगतान नगर परिषद निधि में से किया गया था जोकि पैन्शन फंड से किया जाना था।

पैन्शन फंड में राशि उपलब्ध होने पर यह राशि नगर परिषद निधि में वापिस जमा करवाई जानी चाहिए थी जोकि नहीं की गई। अतः अब पैन्शन फंड ₹181341/– नगर परिषद निधि में हस्तांतरित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ताकि नगर परिषद के लेखें सही स्थिति दर्शायें।

(2) ग्रेजुटी फंड (Gratuity Fund)

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित ग्रेजुटी फंड की वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट "ज")** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2012–13	306607	587887	894494	0	894494
2013–14	894494	643502	1537996	363939	1174057

दिनाँक 31.3.14 को बैंक समाधान विवरण

दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	₹1174057
दिनाँक 31.3.14 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष	1174057

(3) सी0पी0एस0 (Contributory pension scheme)

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सी0पी0एस0 (अंशदायी पैन्शन योजना) की वित्तीय स्थिति (**परिशिष्ट "झ"** के अनुसार) निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2012–13	744513	351281	1095794	0	1095794
2013–14	1095794	592960	1688754	0	1688754

दिनाँक 31.3.14 को बैंक समाधान विवरण

दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	₹1688754
दिनाँक 31.3.14 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष	968343
दिनाँक 31.3.14 को सावधि जमा शेष	720411
दिनाँक 31.3.14 को बचत खाते तथा सावधि जमा का कुल शेष	1688754

11 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर ₹645820/– का अनियमित भुगतानः–

चयनित माह के व्यय एवम अदायगी के वाउचरों तथा सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से अन्तिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident fund) Rules 2000 के नियम 13 (i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances, withdrawls and final payment from G.P.F. shall be sanctioned by Director. अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से स्वीकृत अन्तिम भुगतान/आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अब उक्त प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 व दिनाँक	चैक संख्या व दिनाँक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	अन्तिम भुगतान की राशि (₹) में
1	Nil of 10.7.13	004807/10.7.13	श्री सुशील कुमार मित्तल, कार्यकारी अधिकारी	153907
2	47 of 20.5.13	004805/20.5.13	श्रीमती निर्मला धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश, लिपिक	129728
3	46 of 20.5.13	004804/20.5.13	श्री बिशन सिंह, चौकीदार	121211

4	Nil of 28.01.14	004822/31.1.14	श्री रत्तन लाल, चालक	140974
5	38 of 28.01.13	004796/28.1.13	श्री ज्ञान चन्द, सेवादार	100000
			कुल जोड़	**₹645820**

12 सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को ₹1111/– ब्याज के रूप में अधिक गणना करना:–

सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि माह मार्च, 2013 में सामान्य भविष्य निधि के सभी खाताधारकों को माह मार्च 2013 के वेतन से काटे गए मासिक अभिदान का जमा दिनाँक 31.3.13 को प्रदान किया गया था तथा इस अभिदान की राशि पर पूरे माह मार्च, 2013 का ब्याज का जमा भी प्रदान किया गया था जबकि सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के नियम 11 (3) के अनुसार वर्णित अभिदान की राशि अगले माह की पहली तिथि को जमा मानी जाएगी तथा इस प्रकार इस अभिदान की राशि पर माह मार्च, 2013 का ब्याज देय नहीं बनता था। इस प्रकार निम्न विवरण के अनुसार ₹1111/– का अधिक जमा प्रदान किया गया जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वा0सं0 व दिनाँक	**दिनाँक 31.03.13 को खाताधारकों के मासिक अभिदान की जमा राशि**	**वर्ष 2012–13 के लिए ब्याज की स्वीकृत दर**	**माह मार्च, 2013 का अधिक जमा ब्याज की राशि (Amount x 9.5% x 1/12)**
46 to 56 of 3/13 उप वाउचर संख्या (2)	66500	9.5%	526
(3)	13900	9.5%	110
(4)	44000	9.5%	348
(5)	16000	9.5%	127
	कुल जोड़		**₹1111**

13 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएंः–

श्री सुशील कुमार मित्तल, कार्यकारी अधिकारी, स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश, लिपिक, श्री बिशन सिंह, चौकीदार व श्री रत्तन लाल, चालक, सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने के दौरान निम्नलिखित मिश्रित अनियमितताएं जिनका संज्ञान लेते हुए आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

1 नियमानुसार वेतन से सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की कटौती कर्मचारी की सेवा निवृति तिथि से तीन माह पूर्व बंद की जानी अपेक्षित है जबकि परिषद द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना की जा रही थी।

2 सेवा निवृत कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते अन्तिम भुगतान के उपरान्त न तो बंद किए जा रहे थे और न ही अन्तिम भुगतान की सत्यापना व प्रविष्टि ही खातों में की जा रही थी।

14 श्रीमती निर्मला, लिपिक को सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान करते ₹3325/–ब्याज के रूप में अधिक भुगतानः–

श्री ओमप्रकाश, लिपिक का दिनाँक 16.12.12 को सेवाकाल के दौरान स्वर्गवास हो गया था। इस प्रकार उनके सा0भ0नि0 खाता में जमा राशि ब्याज सहित दिनाँक 17.12.12 को अन्तिम भुगतान हेतु देय हो गई थी परन्तु वर्णित राशि के भुगतान हेतु उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी ने दिनाँक 17.5.13 को नगर परिषद को आवेदन प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप उन्हें चैक संख्या 004805 दिनाँक 20.5.13 द्वारा ₹129728/– का भुगतान किया गया। इस भुगतान का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि उनके सा0भ0नि0 खाता में जमा राशि पर ब्याज दिनाँक 31.03.13 तक प्रदान किया गया था जबकि सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के नियम 11 (2) के परन्तुक, जिसे नियम 34 (3) के नीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश संख्या (3) के साथ पड़ा जाये, के अनुसार ब्याज दिनाँक 16.12.12 तक ही देय बनता था। दिनाँक 16.12.12 को उनके खाते में ₹120016/– शेष था तथा profressive total ₹806740 बनता था जिसे दिनाँक 31.03.13 तक ₹420056 (₹120016X3.5 माह) बढ़ाकर ₹1226796 करके ब्याज की गणना की गई जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता के कारण वर्णित प्रकरण में निम्न विवरण के अनुसार

₹3325/– ब्याज का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से करके निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

ब्याज की गणना हेतु लिया गया progressive total (₹) में	ब्याज की गणना हेतु जो progressive total लिया जाना चाहिए था (₹) में	9.5% की दर से ब्याज की राशि जिसका भुगतान किया गया (₹) में	9.5% की दर से ब्याज की राशि जो वास्तविकता में देय बनती थी (₹) में	ब्याज की अधिक भुगतान की राशि (₹) में
1226796	806740	1226796X9.5%/12=9712	806740X9.5%/12=6387	₹3325

15 सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज की गणना करने के कारण ₹43042/– का अधिक भुगतानः–

सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 9.5**%** की दर से निधि से ब्याज का भुगतान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। चूँकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (विनियम) विभाग के संकल्प संख्या फिन–सी–ए (3)–4/2001 दिनाँक 09.05.13 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 8.8**%** की दर तय की है। अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से नियमानुसार देय दर से अधिक दर 9.5**%** पर ब्याज स्वीकृत करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 9.5**%** की दर से ₹584147/– के ब्याज का भुगतान किया गया था **(परिशिष्ट "ञ")** जबकि नियमानुसार 8.8**%** की दर से निम्न विवरण के अनुसार ब्याज की राशि देय बनती थी। इस प्रकार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में ₹92234/–

ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

9.5% की दर से किया गया ब्याज का भुगतान (₹) में	**नियमानुसार 8.8% की दर से देय ब्याज की राशि (₹) में**	**अधिक जमा प्रदान ब्याज की राशि (₹) में**
584147	584147X8.8/9.5=541105	₹43042

उक्त अनियमितता के कारण पूर्व वर्षों में भी यदि सामान्य भविष्य निधि खातों में ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया हो तो उस राशि की गणना अपने स्तर पर करके नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-III दिनाँक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Grauity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किये गये है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–2 इसका रख रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12**%** तथा 5**%** की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा।

नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा यह मामला सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

17 पैन्शन व उपदान निधि में अभिदान के विलम्ब से जमा करने पर दंड ब्याज न वसूलनाः–

H.P. Municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 4 (2) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका संवितरण अधिकारी को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्त्तर का 12**%** पैन्शन तथा 5% ग्रेच्युटी का देय अभिदान पैन्शन एवम उपदान निधि में अगले माह की 5 तारीक तक जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा दोषी नगरपालिका को प्रचलित साधारण ब्याज की दर के ऊपर 1.5**%** की दर जोड़कर दंड ब्याज भरना पड़ेगा। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार लगभग 21**%** प्रकरणों में उक्त नियम की अवहेलना हुई है जहाँ निर्धारित तिथि को देय अभिदान की राशि जमा नहीं करवाई गई थीः–

माह	**बैंक में अभिदान जमा करने की तिथि**	**अभिदान की राशि (₹) में**	
		पैन्शन	**उपदान**
6/2013	06.07.13	92518	39808
9/2013	08.10.13	92518	——
10/2013	07.11.13	92518	46494
11/2013	09.12.13	92518	45770
1/2014	06.02.14	92518	45770

अतः उपरोक्त अनियमितता की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर दोषी से उक्त वर्णित नियमानुसार निर्धारित दंड ब्याज की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये।

18 कर्मचारियों के वेतन से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) अभिदान की नियमानुसार कटौती न करने बारेः–

माह 1/2013 के वेतन से निम्नलिखित कर्मचारियों का अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान काटा ही नहीं गया था। विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए

गए अभिलेख के अवलोकन पर विदित हुआ कि निम्नलिखित दैनिक भोगी कर्मचारियों को माह मार्च, अप्रैल व सितम्बर, 2012 में नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया गया परन्तु प्रथम 12 माह तक इनका अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान काटा ही नहीं गया था। चर्चा के दौरान कार्यालय ने सूचित किया कि नव नियुक्त कर्मचारियों का अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान कटौती का आरम्भ इन कर्मचारियों द्वारा एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर किया जा रहा है जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार कर्मचारी की नियमितिकरण तिथि से अगले माह के वेतन से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान की कटौती करना अनिवार्य है। इस प्रकार निम्न विवरण अनुसार कर्मचारियों से 12 माह की अभिदान ₹112698/– और इतना ही समतुल्य हिस्सा नियोक्ता से वसूली योग्य देय बनता है जिसे अब नियमानुसार कर्मचारियों से 12 बराबर किश्तों में वसूल करके नियोक्ता के समतुल्य हिस्से सहित अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये।

क्रमाँक	**कर्मचारी का नाम पद व नियुक्ति तिथि**	**मूल वेतन+ग्रेड पे (₹) में**	**मूल वेतन+महंगाई भत्ता के 10% की दर से जो अभिदान काटा जाना चाहिए था (₹) में**	**12 माह की कटौती की राशि (₹) में**	**नियोक्ता का समतुल्य हिस्सा (₹) में**	**कुल अभिदान की राशि (₹) में**
1	श्री सुरेश कुमार, सफाई कर्मचारी/ 01.03.12	4900–10680 +1300GP	4 to 6/12=1023 (65%DA) 7 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA)	11697	11697	23394
2	श्री टेक चंद, सफाई कर्मचारी/ 01.03.12	4900–10680 +1300GP	4 to 6/12=1023 (65% DA) 7 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA)	11697	11697	23394
3	श्री बाबू राम, सफाई कर्मचारी/ 01.03.12	4900–10680 +1300GP	4 to 6/12=1023 (65% DA) 7 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA)	11697	11697	23394
4	श्री नरेश कुमार, सफाई	4900–10680 +1300GP	4 to 6/12=1023 (65% DA)	11697	11697	23394

	कर्मचारी / 01.03.12		7 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA)			
5	श्री राजू, सफाई कर्मचारी / 01.03.12	4900–10680 +1300GP	4 to 6/12=1023 (65% DA) 7 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA)	11697	11697	23394
6	श्री संजय कुमार, सफाई कर्मचारी / 01.04.12	4900–10680 +1300GP	5 to 6/12=1023 (65% DA) 7 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA)	11790	11790	23580
7	श्री बंती लाल, सफाई कर्मचारी / 15.9.12	4900–10680 +1300GP	10 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 6/13=1116 (80% DA) 7 to 10/13=1178 (90%)	14606	14606	29212
8	श्री भारत कुमार, सफाई कर्मचारी / 15.09.12	4900–10680 +1300GP	10 to 12/12=1066 (72% DA) 1 to 6/13=1116 (80% DA) 7 to 10/13=1178 (90%)	14606	14606	29212
9	श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी, 24.03.12	4900–10680 +1300GP	4 to 6/12=1023 (65% DA) 9 to 11/12=1066 (72% DA) 1 to 2/13=1116 (80%DA) 6 to 9/13=1178 (90%DA)	13211	13211	26422
			कुल जोड़	**112698**	**112698**	**225396**

19 आयः–

(1) रोकड़ बही में प्राप्त आय ₹106300 / – की प्रविष्टि कम करनाः–

चयनित मासों में प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ सही रूप से नहीं की जा रही थी तथा निम्नानुसार प्राप्त आय की प्रविष्टि रोकड़ बही में कम या अधिक की गई थी फलस्वरूप ₹106300 / – (net) प्राप्त आय की रोकड़ बही में कम गणना की गई थी जोकि एक अत्यन्त

गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसी स्थिति में राशि के गबन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अंकेक्षण अवधि के अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितता होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान अन्य मासों में प्राप्त पूरी आय की रोकड़ बही में गणना सुनिश्चित करने बारे तथ्य की अपने स्तर पर सत्यापन करने के पश्चात वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित ₹106300/– की तथा अन्य राशि जो यदि पड़ताल के पश्चात कम जमा पाई जाती है की वसूली करने के साथ–2 नियमानुसार अनुशासात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही पृ0सं0	**दिनाँक /माह**	**रसीद सं0**	**जितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई थी (₹)**	**जितनी राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि की गई थी (₹)**	**जितनी राशि की रोकड़ बही में कम प्रविष्टि की गई थी (₹)**	**टिप्पणी**
284	11.3.14	12 से 42 तथा 45 से 50/603	275000	179500	(–) 95500	(i) रसीद संख्या 20/603 की दोनों प्रतियाँ रसीद बुक सँख्या 603 में संलग्न न होने के कारण न तो इस रसीद से कितनी आय प्राप्त हुई थी इस तथ्य की पुष्टि की जा सकी तथा न ही इस रसीद से प्राप्त आय को गणना लिया जा सका। (ii) रसीद बुक संख्या 603 में क्रम संख्या 26/603 की दो रसीदें संलग्न पाई गई। एक रसीद संख्या 26/603 से ₹3200/– श्री सूरज

						से प्राप्त हुए थी तथा तथा दूसरी रसीद संख्या 26/603 से ₹3200/– श्री जीवा सिंह से प्राप्त हुए थी। रसीद बुक में एक ही क्रम संख्या की दो रसीदें होना नगर परिषद द्वारा रसीदों की छपाई तथा उनके उपयोग में बरती जा रही लापरवाही दर्शाता हैं।
––	3/14	1 से 6/604	15800	––	(–) 15800	चयनित मास में प्राप्त आय रोकड़ बही में जमा नहीं पाई गई
294	24.3.14	18 से 50/604 तथा 1 से 605	12200	17200	(+) 5000	रोकड़ बही में अधिक जमा किये गये थे
जितनी प्राप्त आय (net) कम जमा पाई गई (₹)					**(–)₹106300**	

(2) लीज धारकों से ₹4574516/– की शेष वसूलीः–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को नगर परिषद की जमीन लीज पर दी गई। लीज धारकों से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.1987 से 31.3.2014 तक ₹4574516/– की राशि लीज धारकों जिनका विवरण **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है, से वसूली हेतु शेष थी। अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि लीज राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए और ही लीज धारकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही की गई थी। 27 वर्षों तक लीज की राशि की वसूली न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इतनी लम्बी अवधि तक लीज राशियों की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और साथ ही इस राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख एवं दिनाँक 31.3.14 को बकाया राशि की सूचना उपलब्ध न करवानाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनाँक 20.5.14 एवं कई बार मौखिक रूप से कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को गृह कर की बकाया राशि की सूचना एवं गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया। अंकेक्षण समाप्ति तक कायकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा गृह कर की बकाया राशि की सूचना एवं गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गये जोकि आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 तथा 04/2010 से 03/2012 के अंकेक्षण पैरा संख्या क्रमशः 7 (घ) तथा 7.12 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाने के कारण न तो आय के इस स्त्रोत की पड़ताल अंकेक्षण में की जा सकी तथा नही दिनाँक 31.3.2014 को गृह कर की कितनी राशियाँ वसूली हेतु शेष थी इस तथ्य की पुष्टि की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(4) मदिरा शुल्क बारेः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार (**परिशिष्ट "ठ"** देखें) अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर परिषद को निम्नलिखित आय प्राप्त हुई थीः–

क्रमाँक	**पत्र सं0**	**रसीद सं0 एवं दिनाँक**	**जिस अवधि से आय सम्बन्धित थी**	**राशि (₹)**
1	Astt. Exicise & Taxation Commissioner Nahan Vide letter No. XEN. (E)-2013-14-3978 dt. 14.3.2014	05/606 दिनाँक 27.3.14	2012–13	₹904153
2	————		2013–14	————

नगर परिषद परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही नगर परिषद द्वारा उपपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सूचना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परिषद को अवधि 2013–14 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) बिजली शुल्क बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनाँक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर दिनाँक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। उपलबध करवाई गई जानकारी के अनुसार (**परिशिष्ट "ङ"** देखें) जिसका विवरण निम्नानुसार है नगर परिषद को इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करनाः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर व कुछ अवधि का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख को संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(7) शो टैक्स से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनाँक 20.5.14 एवं कई बार मौखिक रूप से कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को शो टैक्स की दिनाँक 31.3.2014 को बकाया राशि की सूचना एवं इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा शो टैक्स की बकाया राशि की सूचना एवं इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गये जोकि आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2012 के अंकेक्षण पैरा संख्या 7.13 के अनुसार ₹2.79 लाख की राशि नगर परिषद की परिसीमा में चलाए जा रहे दो वीडियो हाल्स से दिनाँक 31.3.2012 को शेष थी जिसकी वसूली अभी तक नहीं की गई थी। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इन दो वीडियो हाल्स जिनका उल्लेख गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया गया था से शो टैक्स की वसूली लगभग ₹292000/– (730 दिन (365 दिनX2वर्ष)X8शो (4 शो प्रति दिनX2वीडियो हाल्स) X₹50 प्रति शो) की जानी अपेक्षित थी परन्तु शो टैक्स से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाने के कारण न तो आय के इस स्त्रोत से पड़ताल अंकेक्षण मे की जा सकी तथा न ही दिनाँक 31.3.2014 को इस मद के अन्तर्गत कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी तथा इस तथ्य की पुष्टि की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या LSG-D(1)-9/94, दिनाँक 24.8.2000 एवं अधिसूचना संख्या LSG-D(1)-9/94, भाग–4 दिनाँक 01.07.2002 के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में चलाए जा रहे वीडियो हाल्स से ₹50/–प्रति शो की दर कितनी राशि शो टैक्स की वसूली की गई थी उससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) उद्देजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनियम (जोखिमपूर्ण व्यापार) हेतु जारी लाईसैन्स फीस ₹88220/– की वसूली दिनाँक 31.3.2014 को शेष होनाः–

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 125 के अनुसार नगरपालिका, क्षेत्र के भीतर यदि कोई व्यवसायी उद्देजक तथा संकटपूर्ण व्यापार विनियम करता है तो नगर परिषद उस उद्देजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनियम हेतु लाईसैन्स जारी करेगा, इस प्रकार के लाईसैन्स हेतु नगर परिषद, उपायुक्त द्वारा अनुमोदन की गई लाईसैन्स फीस, व्यवसायी से प्राप्त करेगी।

उपायुक्त सिरमौर के पत्र संख्या एल0एफ0–ए (4)–5/85 दिनाँक 01.01.97 से लाईसैन्स फीस की दरें निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यवसायी इस तरह का व्यवसाय करता है और अपने लाईसैन्स का निर्धारित अवधि के भीतर नवीनकरण नहीं करवाता तो उस पर ₹5 प्रति माह की दर से जुर्माना वसूला जायेगा। नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ढ"** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 को इस मद के अन्तर्गत ₹88220/–' की वसूली शेष थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इस फीस से सम्बन्धित माँग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख (रजिस्टर आदि) का संरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में मद के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी तथा 31.3.14 को बकाया राशि की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख के अनुरक्षण (maintain) न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर ₹88220/– की वसूली जुर्माने सहित करके सम्बन्धित अनुरक्षित (maintained) अभिलेख के साथ प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

(9) दुकानों/शो रूम्सः–

दुकानों/शो रूम्स से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(i) दुकानों/शो रूम्स से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की ₹1999616/– की शेष वसूलीः–

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों/कारोबारियों को प्रदान किये गये दुकानों/शो रूम्य स प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं की जा रही थी जिस कारण दिनाँक 31.3.2014 को ₹1999616/– वसूली हेतु शेष थे जैसा कि नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ण"** द्वारा उपलब्ध करवाए गए विवरण से स्पष्ट हो जाता है। नगर परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा नियमित वसूली न होने से नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ/प्रभावित हो रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा वर्णित शेष राशि की वसूली करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार दुकानों का किराया विलम्ब से जमा करवाने पर दंड ब्याज (penal intrest) की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित माँग एवं संग्रहन पंजिका में कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि दुकानों का मासिक किराया विलम्ब से जमा करवाने पर नगर परिषद द्वारा दुकानदारो के साथ किये गये अनुबन्धों के प्रावधान के अनुसार दंड ब्याज की वसूली नहीं की जा रही थी। निम्नलिखित प्रकरणों में दुकानदारों द्वारा वर्ष के दौरान मासिक किराए की एक भी राशि का भुगतान नहीं किया था उसके बावजूद वर्ष के अन्त में दुकानदारों द्वारा कुल देय राशि में अनुबन्धों के प्रावधान के अनुसार दंड ब्याज के रूप में देय राशि को नहीं जोड़ा गया था। केवल 2012–13 के दौरान ही इन दुकानदारों से दंड ब्याज के रूप में देय राशि निम्नानुसार लगभग ₹72557/– बनती थीः–

दुकानदार का नाम/दुकान की सं0	दिनाँक 4/2012 को मांग एवं संग्रह पंजिका के अनुसार आरम्भिक शेष	दुकान का मासिक किराया (₹)	2012–13 के दौरान कुल देय किराया (₹)	कुल योग (क+ख)	वर्ष के दौरान भुगतान किये गये मासिक की राशि (₹)	वर्ष के अन्त में दुकानदार द्वारा कुल देय राशि (₹)	अनुबन्ध के अनुसार देय दंड ब्याज की दर (₹)	वर्ष के अन्त में जितना दंड ब्याज की जितनी राशि साधारण ब्याज के अनुसार बनती थी (लगभग) (₹)
श्री अरविन्द/08	25260	303	3636	28896	शून्य	28896	2% प्रतिमाह	6535
श्री योगेश/39	114240	1320	15840	130080	शून्य	130080	2% प्रतिमाह	29477
श्रीमती उपासना/92	47893	605	7260	55153	शून्य	55153	2% प्रतिमाह	12438

श्री राजेन्द्र नेगी / 151	37650	605	7260	44910	शून्य	44910	2% प्रतिमाह	9980
एच0पी0एग्रो इंडस्ट्रीज / शो रूम–2	49860	1385	16620	66480	शून्य	66480	2% प्रतिमाह	14127
						कुल योग		**₹72557**

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹72557/– के अलावा अपने स्त्तर पर अंकेक्षण अवधि के दौरान चूककर्ता (defaulter) दुकानदारों को चिहिन्त करके तथा उनसे दंड ब्याज की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) दुकानदारों द्वारा विलम्ब से जमा करवाए मासिक किराये पर देय दंड ब्याज की दरों में समरूपता न होनाः–

दुकानदारों के साथ नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराए पर दिए जाने के समय किये गये कुछ अनुबन्धों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि इन अनुबन्धों में दुकानदारों द्वारा विलम्ब से दुकान का किराया जमा करवाए जाने की स्थिति में देय दंड ब्याज की दरों में समरूपता नहीं थी जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। कुछ दुकानदारों के अनुबन्धों में दंड ब्याज का प्रावधान अधिक कुछ में कम तथा कुछ में कोई प्रावधान ही नहीं पाया गया जोकि सही नहीं है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दुकान की सं0	दुकानदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार देय दंड ब्याज की दर (₹)
1	39	श्री योगेश कुमार	2% प्रतिमाह
2	67	श्री केवल कृष्ण	₹1 प्रतिदिन की दर यदि किराया माह की 10वीं तिथि तक जमा नहीं करवाया जाता
3	26	श्री जिन्दा हसन	अनुबन्ध में दंड ब्याज से सम्बन्धित धारा नहीं पाई गई
4	100	श्री प्रीत कमल	अनुबन्ध नस्ति में संलग्न नहीं पाया गया केवल

			शपथ पत्र संलग्न पाया गया जिसमें दंड ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था।
5	1 (शो रूम)	एच0पी0 एग्रो इंडस्ट्रीज	₹1 प्रतिदिन की दर से यदि किराया माह की 7वीं तिथि तक जमा नहीं करवाया जाता

(iv) दुकानदारों को बिना अनुबन्ध किये दुकानें किराए पर देनाः–

दुकानदारों के साथ नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराए पर दिए जाने के समय किये गये कुछ अनुबन्धों की पड़ताल के दौरान यह प्रतीत हुआ कि कुछ दुकानदारों को नगर परिषद ने बिना अनुबन्ध किये ही दुकानें किराए पर दे दी थी क्योंकि इन दुकानदारों से सम्बन्धित नस्तियों में यह अनुबन्ध संलग्न नहीं पाए गये तथा न ही माँगे जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये। यह एक गम्भीर अनियमितता है तथा इससे सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	दुकान की सं0	दुकानदार का नाम
1	08	श्री अरविन्द गोयल
2	29	श्री बलवन्त सिंह

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपने स्तर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों को चिन्हित करके तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में किसी विविध कठिनाई से बचा जा सके।

(v) ₹392/– आगामी वर्ष में कम हस्तांतरित (Carry forward) करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित माँग एवं संग्रहन पंजिका में कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार दुकानदारों का अन्तिम शेष आगामी वर्ष में कम हस्तांतरित किया गया थाः–

	आरम्भिक शेष (वर्ष 2012–13)		वर्ष के दौरान प्राप्ति		वर्ष के अन्त में वास्तविक शेष (₹) (क)		वर्ष के अन्त में जितना शेष दर्शाया गया था (₹) (ख)		वर्ष के अन्त में जितना शेष कम दर्शाया गया था/कम हस्तांतरित किया गया। (₹) (क–ख)	
दुकानदार का नाम/दुकान की सं0	किराया	हाउस टैक्स	किराया	हाउस टैक्स	किराया	हाउस टैक्स	किराया	हाउस टैक्स	किराया	हाउस टैक्स
श्री सचिन गर्ग/05	21000	2100	18000	1650	3000	450	3000	300	––	150
श्री इन्द्रजीत/03	145620	14562	35000	––	110620	14562	110620	14320	––	242
								कुल योग		₹392

(vi) माँग तथा संग्रह पंजिका में किराए के शेषों तथा माँग की प्रविष्टियाँ न करनाः—

माँग तथा संग्रह पंजिका में कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि दुकानदारों के कई खातों में आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों तथा वर्ष के दौरान माँग की राशियों की प्रविष्टि ही नहीं की जा रही थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैः—

किरायेदार / दुकानदार का नाम	**Set/दुकान संख्या / प्रकार**	**2013—14 को आरम्भिक शेष (₹)**	**टिप्पणी**
श्री राज कुमार	1/(Self financing)	18420	वर्ष 2012—13 के दौरान पंजिका में आरम्भिक तथा अन्तिम शेष तथा वर्ष के दौरान माँग की प्रविष्टि नहीं की गई थी तथा वर्ष 2013—14 के आरम्भिक शेष किस आधार पर हस्तांतरित किये गये यह पंजिका में कहीं स्पष्ट नहीं होता था
श्री सुरेश कुमार	2/(Self financing)	18420	—यथोपरि—
सी0डी0पी0ओ0	7/(MC set)	1052	—यथोपरि—
सी0डी0पी0ओ0	8/(MC set)	202	—यथोपरि—

उपरोक्त अनियमितता से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंजिका का रख रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 अपने स्त्तर पर पड़ताल करके पंजिका में सभी एवं दुकानदारों / किरायेदारों के लेखों में सही विवरण भरा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(vii) ₹21000/– ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली किये जाने सम्बन्धी जानकारी मांगने पर तथा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹21000/– (**परिशिष्ट "त" के अनुसार**) की वसूली दिनाँक 31.3.13 को शेष थी। अतः ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(viii) ₹1400 कुत्ता शुल्क (Dog registration) की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान Dog registration शुल्क की वसूली किये जाने सम्बन्धी जानकारी मांगने पर तथा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित दिनाँक 31.3.14 तक ₹1400/– (**परिशिष्ट "थ"** के अनुसार) की वसूली शेष थी। अतः Dog registration शुल्क की नियमित रूप से वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹1400/– की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(xi) ₹50570/– तहबाजारी शुल्क की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान तहबाजारी शुल्क की वसूली किये जाने सम्बन्धी जानकारी माँगने पर तथा उपलब्ध करवाई गई सूचना के सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.14 को ₹50570/– (**परिशिष्ट "द"** के अनुसार) की वसूली शेष थी। अतः तहबाजारी शुल्क की नियमित रूप से वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹50570/– की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(x) ₹50/– तहबाजारी शुल्क की कम वसूली करनाः–

चयनित मासों में तहबाजारी शुल्क से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार ₹50/– तहबाजारी शुल्क की वसूली कम की गई थी। अतः इस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा उपयुक्त स्त्रोत से ₹50/– की राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रसीद सं0/माह	तहबाजारी शुल्क की दर (प्रतिदिन)	अवधि जिसे से सम्बन्धित तहबाजारी शुल्क वसूल किया गया	जितना शुल्क वसूल किया गया (₹) (क)	जितना शुल्क वसूल किया जाना चाहिए (₹) (ख)	जितना शुल्क कम वसूल किया गया (₹) (ख–क)
64/557/3/13	10	जनवरी/12 (31 दिन)	300 (10X30 दिन)	310(10X31)	10
81/557/3/13	20	6.12.12 से 31.12.12 तक (26 दिन)	500 (20X25)	520 (20X26)	20
79/560/3/13	20	जनवरी/13 (31 दिन)	600 (20X30)	620 (20X31)	20
				कुल योग	**50**

20 वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता बहियाँ तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय कि कितनी माँग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय मद की खाता बहियाँ तैयार की जाएं ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना को रोका जा सके तथा प्रत्येक मद का सही आंकड़े एक नजर में देखें जा सके। कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 ₹1056/– नक्शा पारित शुल्क की कम वसूली करनाः–

चयनित मासों में प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरण में नक्शा पारित शुल्क ₹1056/– की निम्नानुसार कम वसूली की गई थीः–

मकान मालिक का नाम/मकान सं0	रसीद सं0/दि0	जितना नक्शा पारित शुल्क वसूला गया था (₹) (क)	जितना नक्शा पारित शुल्क वसूला जाना अपेक्षित था (₹) (ख)	जितना नक्शा पारित शुल्क कम गया यहा (₹) (ख–क)
श्री हरकेश पांडे/6585	40/597/ 28.2.14	एम0सी0शुल्क=86 वर्ग मीटर @₹2.50 प्रति वर्ग मीटर=215 टी0सी0पी0 शुल्क=86 वर्ग मीटर @ ₹6.30 प्रति वर्ग मीटर=542 कुल योग (215+542)=757	एम0सी0 शुल्क=129 वर्ग मीटर @₹2.50 प्रति वर्ग मीटर=323 टी0सी0पी0 शुल्क=129 वर्ग मीटर @ ₹5.25 प्रति वर्ग मीटर=677 129 वर्ग मीटर @ ₹6. 30 प्रति वर्ग मीटर=813 कुल योग (323+677+813)=1813	1056 (1813–757)

अतः उपरोक्त कम वसूली किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1056/– की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

22 नगर परिषद निधि से पैन्शन एवम् उपदान निधि में ₹13438/– नियमानुसार देय राशि से अधिक का अभिदान हस्तांतरण/जमा करना (वाउचर संख्या 9 व 10 दिनाँक 01/13 क्रमश 84420 व 47109)

पैन्शन एवम् उपदान निधि में ₹13438/– का अधिक भुगतान किया गया H.P. Municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्त्तर का 12**%** पैन्शन तथा 5**%** ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अभिदान की गणना वेतनमान के अधिकत्तर की अपेक्षा इसमें ग्रेड वेतन जोड़कर की गई थी जोकि उक्त नियमों में

वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार नगरपालिका निधि से अधिक अंशदान दिया गया।

ग्रेड पे	कर्मचारियों की संख्या जिनका अभिदान जमा किया गया		12% की दर से अधिक जमा की गई पैन्शन अभिदान की राशि (ग्रेड पेXकर्मचारी संख्याX12%) (₹) में	5% की दर से अधिक जमा की गई ग्रेच्युटी अभिदान की राशि (ग्रेड पेXकर्मचारी संख्याX5%) (₹) में	कुल अधिक जमा अभिदान की राशि (₹) में
	पैन्शन अभिदान	ग्रेच्युटी अभिदान			
1300	5	17	780	1105	1885
1400	16	17	2688	1190	3878
1900	3	3	684	285	969
1950	9	9	2106	878	2984
2000	1	3	240	300	540
2800	2	2	672	280	952
3600	1	1	432	180	612
3800	1	2	456	380	836
4600	1	1	552	230	782
कुलजोड़	**39**	**55**	**8610**	**4828**	**₹13438**

23 अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का भी उपदान अंशदान पैन्शन व उपदान निधि में जमा करना (वाउचर संख्या 10 दिनाँक 01/13 व 6/13 क्रमश ₹47109 व ₹50310)

H.P. Municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12**%** पैन्शन तथा 5**%** ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया

जाना अपेक्षित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-II (130/10) 7/2000 दिनाँक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अभिदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो, का जमा करवाया जा रहा था जिसमें अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। चूँकि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को अंशदान अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जा रहा था तथा इन कर्मचारियों को पैन्शन एवम् उपदान भी नियमानुसार देय नहीं है इसलिए नियमों की सही भावना के दृष्टिगत अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का 12**%** पैन्शन तथा 5**%** ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण निम्न विवरण अनुसार नगरपालिका निधि से पैन्शन एवम् उपदान निधि में ₹146252/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता हैः–

क्र0सं0	**CPS कर्मचारियों का नाम जिनका ग्रेच्युटी अभिदान जमा किया गया**	**पे बैंड+ग्रेड पे (₹) में**	**ग्रेच्युटी अभिदान की अधिक जमा की गई राशि (₹) में**		**कुल अधिक जमा अभिदान की राशि (₹) में**
			माह जनवरी, 2013 (पे बैंड का अधिकतम+ग्रेड पेX5%	**माह जून, 2013 (पे बैंड का अधिकतमX5%)**	
1	श्री ललित गोयल, कनिष्ठ अभियन्ता	10300–34800+3800GP	1930	1740	3670
2	श्री रमेश चन्द, लिपिक	5910–20200+2000GP	1110	1010	2120
3	श्री अमृत सिंह, चालक	5910–20200+2000GP	1110	1010	2120
4	श्री दलजीत	4900–10680+1300GP	599	534	1133

	सिंह, सेवादार				
5	श्री राम कुमार, बेलदार	4900–10680+1300GP	599	534	1133
6	श्री बलबीर सिंह, बेलदार	4900–10680+1300GP	599	534	1133
7	श्री रमेश चन्द, बेलदार	4900–10680+1300GP	599	534	1133
8	श्री मदन कुमार, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	599	534	1133
9	श्री सुरेश कुमार, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	––	534	534
10	श्री टेक चन्द, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	––	534	534
11	श्री बाबू राम, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	––	534	534
12	श्री नरेश कुमार, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	––	534	534
13	श्री राजू, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	––	534	534
14	श्री संजय कुमार, सफाई कर्मचारी	4900–10680+1300GP	––	534	534
		कुल जोड़	**7145**	**9634**	**₹16779**

24 स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹3758932/– का अधिक व्यय करनाः–

Municipality Act 1994 की धारा 53 (1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनाँक 20.6.2001 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार Municipalies के लिए उनके स्थापना व्यय नियन्त्रित करने हेतु प्रावधान दिए गए है जिसके अनुसार नगर परिषदों के लिए स्थापना पर व्यय उनके खर्च के एक तिहाई अर्थात (1/3) भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा 1/3 से कहीं अधिक किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्त वर्ष	वित्त वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय (₹)	व्यय का 1/3 भाग जो स्थापना पर किया जाना चाहिए था (₹) (क)	स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय (परिशिष्ट "ध" के अनुसार) (₹)	स्थापना पर अधिक किया गया व्यय (₹)
2012–13	31500533.00	10500178	1303287	2503109
2013–14	32815131.55	10938377	12194200	1255823
			कुल योग	**₹3758932**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद ने ₹3758932/– स्थापना पर अनुचित रूप से अधिक व्यय किया था जोकि नियमों एवं दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में स्थापना पर व्यय नियमों एवं दिशा निर्देशों की तय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 भत्तों तथा अन्य देय लाभों का अनियमित भुगतानः–

चयनित मासों के वेतन व पैन्शन बिलों का सम्बन्धित सेवा अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (वेतन संशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)B (7)-64/2010-Loosse दिनाँक 24 व 27.9.12 जिसके द्वारा HPCS (प्रवर्ग/पदवार RP) Rules, 2012 के अन्तर्गत विभिन्न प्रवर्ग के कर्मचारियों को दिनाँक 01.10.12 से संशोधित पे बैंड/ग्रेड पे स्वीकृत की गई थी, को नगर परिषद की आम सभा की बैठक

दिनाँक 29.12.12 के प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा अपने कर्मचारियों को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(i) नगर परिषद द्वारा संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण की न तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ही प्राप्त की थी और न ही सम्बन्धित कर्मचारियो के वेतन निर्धारण आदेश ही जारी किये गये थे। इस तथ्य की पुष्टि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अधिकारी, पौंटा साहिब को श्री बिशन सिंह, माली कम चौकीदार के पैन्शन प्रकरण में लिखे गये पत्र संख्या UD-H(B) (10)-1332/13-3311 दिनाँक 30.5.13 के बिन्दु संख्या 31 पर दी गई टिप्पणी "The matter regards grant of revised grade pay to the employees of ULB's is still under consideration of the Govt. needful may be done now" तथा प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MCP/EO/2013-14-623 दिनाँक 20.6.13 के बिन्दु संख्या 6 पर प्रस्तुत की गई सूचना "ग्रेड पे ठीक कर दी गई है तथा अधिक भुगतान को ग्रेच्युटी से काट लिया जायेगा" से भी स्पष्ट हो जाता है। इसके बावजूद भी परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार अंकेक्षण अवधि तक संशोधित वेतनमानों/ग्रेड पे में मासिक वेतन का आहरण एवम भुगतान किया जा रहा था और इस संशोधन के परिणामस्वरूप अवधि 01.10.12 से 31.12.12 तक देय बकाया राशि ₹60632/– का भी वाउचर संख्या 22 दिनाँक 11.01.13 द्वारा भुगतान कर दिया गया था जोकि अनियमित है। इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से अपेक्षित कार्यवाही करते हुए नियमित करवाया जाए अन्यथा वेतन व भत्तों की अनियमित रूप से भुगतान की जा रही राशि की वसूली अपने स्त्तर पर गणना करके की जाएः–

प्रवर्ग/पद का नाम	कर्मचारियों की सं0	अपरिशोधित ग्रेड पे (₹) में	01.10.12 से आहरण की जा रही संशोधित ग्रेड पे (₹) में	अभियुक्ति
कनिष्ठ अभियन्ता	1	3800	4800	
लिपिक	6	1950	3200	वेतन संशोधित पे बैंड ₹10300–34800+₹3200GP के न्यूनतम अर्थात ₹10300+3200

				GP=₹3500 निर्धारित करके आहरित किया जा रहा था
चालक	3	2000	2400	
सेवादार	5	1400	1650	
	1	1300		
चौकीदार	1	1400	1650	
बेलदार	4	1400	1650	
	3	1300		
सफाई	5	1400	1650	
कर्मचारी	2	1300		
माली	2	1400	1650	

(ii) लगभग ₹0.40 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतानः–

उक्त (i) में वर्णित अनियमितता के अतिरिक्त, निम्न वर्णित लिपिक दिनाँक 01.10.12 को पे बैंड ₹5910–20200+1950 में ₹10010+1950GP=₹11960 का वेतन आहरण कर थे जिसके आधार पर इनका वेतन संशोधित पे बैंड ₹10300–34800+₹3200GP के न्यूनतम अर्थात ₹10300+3200GP=₹13500 निर्धारित करके आहरित किया जा रहा था। न्यूनतम स्त्तर पर वेतन निर्धारित करने की स्थिति में निम्न सभी लिपिकों के प्रकरण में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि नियमानुसार 12 माह बाद दिनाँक 01.10.13 को देय थी किन्तु इसे पूर्ववत क्रमशः 01.01.13, 01.01.13, 01.01.13 व 01.04.13 ही रखकर वेतन निर्धारण का अनियमित लाभ प्रदान किया गया जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार 31.7.14 तक लगभग ₹0.40 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था जिसकी वसूली नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही/छानबीन करने उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियो ंके वेतन से की जाएः–

(क) श्री तेजपाल सिंह

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹) में	महंगाई भत्ता (₹ में) /दर (% में)	अधिक भुगतान की राशि (₹) में	अभियुक्ति
01.01.13 से 30.6.13=6M	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	328 (80%)	4428	दिनाँक 01.01.14 को पूर्ववत देय वार्षिक वेतन वृद्धि आहरित नहीं की गई
01.07.13 से 30.9.13=3 M	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	369 (90%)	2337	
			कुल जोड़		₹6765	

(ख) श्री सुमेर चन्द

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹) में	महंगाई भत्ता (₹ में) /दर (% में)	अधिक भुगतान की राशि (₹) में	
01.01.13 से 30.6.13=6M	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	328 (80%)	4428	
01.07.13 से 30.9.13=3M	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	369 (90%)	2337	
01.01.14 से 31.7.14=7M	11130+3200=14330 HRA 400	10710+3200=13910 HRA 350	420 50	378 (90%)	5586 350	
		कुल जोड़			₹12701	

(ग) श्री ब्रिजपाल सिंह

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹) में	महंगाई भत्ता (₹ में) /दर (% में)	अधिक भुगतान की राशि (₹) में	
01.01.13 से 30.6.13=6M	10710+3200= 13910	10300+3200=13500	410	328 (80%)	4428	

01.07.13 से 30.9.13=3M	10710+3200= 13910	10300+3200=13500	410	369 (90%)	2337	
01.01.14 से 31.7.14=7M	11130+3200= 14330	10710+3200=13910	420	378 (90%)	5586	
		कुल जोड़			**₹12351**	
(घ) श्री मधुकर शर्मा						
अवधि	**आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)**	**देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)**	**अन्तर (₹) में**	**महंगाई भत्ता (₹ में) /दर (% में)**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**	
01.04.13 से 30.6.13=3M	10710+3200= 13910	10300+3200=13500	410	328 (80%)	2214	
01.07.13 से 30.9.13=3M	10710+3200= 13910	10300+3200=13500	410	369 (90%)	2337	
01.04.14 से 31.7.14=4M	11130+3200= 14330	10710+3200=13910	420	378 (90%)	3192	
		कुल जोड़			**₹7743**	

(iii) उक्त (i) में वर्णित अनियमितता के कारण निम्न सेवा निवृत कर्मचारियो ंको 01.10.12 से लागू संशोधित पे बैंड/ग्रेड पे पर आधारित अर्जित अवकाश भुनाने (Encashment) व EX-gratia का भी अनियमित भुगतान किया गया जिसे यथा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से अपेक्षित कार्यवाही करते हुए नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली अपने स्तर पर गणना करके की जाएः–

सेवा निवृत कर्मचारी का नाम व पद	**भुगतान की गई अर्जित अवकाश भुनाने (Encashment) की राशि**	**भुगतान की गई EX-Gratia की राशि**	**वाउचर /चैक संख्या व दिनाँक**
श्रीमती निर्मला देवी सुपत्नी श्री ओम प्रकाश, लिपिक	177246	50000	20 of 5.13 633659/28.12.12
श्री बिशन सिंह, माली –कम– चौकीदार	202100		21 of 09.5.13
श्री अलीजान, बेलदार	175780		43 of 31.5.13

26 पे बैंड के अधिकतम स्तर से ऊपर वेतन स्वीकृत एवम आहरण करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतानः–

चयनित मासों के वेतन बिलों का सम्बन्धित सेवा अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रकरणों में वेतन पे बैंड के अधिकतम स्तर से ऊपर स्वीकृत एवम आहरण किया जा रहा था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता को अब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (वेतन संशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR) B(7)-64/2010-Loose दिनाँक 24.9.12 द्वारा अधिसूचित HPCS(RP) Rules, 2009 के नियम 7 (iii) में दिए गये प्रावधानानुसार नियमित करवाया जाये अन्यथा वेतन व भत्तों की अनियमित रूप से अधिक भुगतान की जा रही राशि की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूली की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पद	पे बैंड (₹ में)	माह 1/13 में आहरित वेतन (₹ में)	पे बैंड के अधिकतम स्तर से ऊपर आहरित वेतन (₹ में1120)	ECR पृ0सं0
1	श्री बाबू राम, सेवादार	4900–10680	11800	470	8
2	श्रीमती राम प्यारी, सेवादार	4900–10680	11150	1120	9
3	श्री अमर नाथ, सफाई कर्मचारी	4900–10680	11800	1120	29
4	श्री बनारसी दास, सफाई कर्मचारी	4900–10680	11800	1120	30
5	श्री पाला राम, सफाई कर्मचारी	4900–10680	11800	1120	31
6	श्री सुरिन्दर पाल, सफाई कर्मचारी	4900–10680	10780	100	32

27 श्रीमती निर्मला धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश, लिपिक को अर्जित अवकाश भुनाने (Encashment) की एवज में ₹13158/– का अधिक भुगतानः–

श्री ओमप्रकाश, लिपिक का दिनाँक 16.12.12 को सेवाकाल के दौरान स्वर्गवास हो गया था। इस तिथि को ₹10300+3200=₹13500 वेतन आहरण कर रहे थे तथा उनके अवकाश खाते 229 दिनों का अनुपयोग अर्जित अवकाश का शेष दर्शाया गया था। इन्ही तथ्यों को आधार मानकार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला को नगर परिषद ने वाउचर संख्या 20 आफ 5/13 के अन्तर्गत चैक संख्या 641862 दिनाँक 9.5.13 द्वारा ₹177246 (₹13500+9720DA 72%=23220x229/30) की अर्जित अवकाश भुनाने (Encashment) की राशि का भुगतान किया। उनके अवकाश खाते का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि उनके अर्जित अवकाश खाते में अवधि 20.6.07 तक=14 दिनों का अर्जित अवकाश व्यतीत करने की प्रविष्टि के विरूद्ध केवल 13 दिन ही शेष से घटाए गए थे जिसके कारण शेष 1 दिन अधिक दर्शाया गया। इसी प्रकार अवधि 01.07.12 से 15.12.12 तक= 5 completed माह का देय 13 दिनों की अपेक्षा 14 दिन प्रदान किया गया जिसके कारण पुनः शेष में 1 दिन अधिक दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 के पैरा संख्या 8.4 अनुसार उन द्वारा व्यतीत किये गये 57 दिनों के अर्जित अवकाश की अवकाश खाते में प्रविष्टि नहीं की गई थी किन्तु वर्तमान अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि 57 दिनों में से 43 दिनों के अर्जित अवकाश की अवकाश खाते में प्रविष्टि कर दी गई थी जबकि शेष 15 दिनों, अवधि 27.10.10 से 30.10.10 तक=4 दिन व 18 से 28.12.10=11 दिन, अर्जित अवकाश की अवकाश खाते में प्रविष्टि ही नहीं की गई थी। इन वर्णित त्रुटियों के कारण उन्हें 229 दिनों की अपेक्षा 212 दिनों के ही अर्जित अवकाश भुनाने (Encashment) की राशि देय बनती थी। इस अनियमितता के कारण उन्हें 17 दिनों के अर्जित अवकाश भुनाने (Encashment) की राशि ₹13158/– (₹13500+9720DA72%=23220x17/30) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28 ₹2219/– के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों का अनियमित भुगतानः–

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार परिषद द्वारा ₹2219/– के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों का अनियमित

भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

(i) वाऊचर संख्या 14 दिनाँक 03.06.13 ₹52806/–

श्री रमेश कुमार, बेलदार द्वारा स्वयं के ईलाज से सम्बन्धित क्रम संख्या 4 पर प्रस्तुत ₹3026/– के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल के अंकेक्षण पर पाया गया कि इस बिल में उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार के नाम ₹929.20 के ईलाज के बिल निम्न विवरण अनुसार शामिल थे जिनका भुगतान भी अनियमित रूप से परिषद द्वारा किया गया थाः–

क्र0सं0	**केमिस्ट का नाम**			
1	Kumar Brothers (Chemists) Pvt. Ltd. Sector-11 D, Chandigarh	228490/6.3.13	418.20	श्री प्रमोद कुमार
2	Family Chemists, SCO-5, Sector-11 D, Chandigarh	147971/6.3.13	551.00	–यथोपरि–
		कुल जोड़	**₹969.20**	

(ii) वाऊचर संख्या 47 दिनाँक 21.6.13 ₹29236/–

श्री बाबु राम, सेवादार द्वारा स्वयं के ईलाज से सम्बन्धित प्रस्तुत ₹16665/– के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल के अंकेक्षण पर पाया गया कि इनमें medicine के अलावा निम्न विवरण अनुसार क्रय की गई ₹1250/– की Sugar Free की प्रतिपूर्ति, जोकि देय नहीं थी, का भी परिषद द्वारा भुगतान अनियमित रूप से किया गया थाः–

क्र0सं0	**केमिस्ट का नाम**	**कैश मैमो संख्या व दिनाँक**	**क्रय वस्तु का नाम**	**राशि (₹ में)**
1	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	13640/22.10.12	Sugar Free 1 Pkt	150
2	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	15548/22.11.12	Sugar Free 1 Pkt	150
3	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	17201/22.12.12	Sugar Free 1 Pkt	150

4	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	18931/23.01.13	Sugar Free 1 Pkt	200
5	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	20845/23.12.13	Sugar Free 1 Pkt	200
6	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	1520/26.4.13	Sugar Free 1 Pkt	200
7	Ravinder Medical Hall-Paonta Sahib	23054/28.3.13	Sugar Free 1 Pkt	200
			कुल जोड़	**1250**

29 विज्ञापनों पर ₹0.74 लाख का अपव्ययः–

चयनित माह के भुगतान वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार विभिन्न त्योहारों/दिवसों के उपलक्ष्य पर परिषद के सदस्यों के रंगदार फोटो सहित शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापन छपवाने पर ₹73860/– का खर्च किया गया जोकि अपव्यय प्रतीत होता है क्योंकि इसका परिषद की नियमों के अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों व उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा यह खर्च लोकहित की अपेक्षा व्यक्तिगत सा प्रतीत होने के कारण परिषद निधि पर अनुचित प्रभार है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विज्ञापन, हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित है परन्तु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके सीधे ही अखबारों में उच्च दरो ंपर छपवाए गये थेः–

क्रमाँक	वा0सं0 व दिनांक	विज्ञापन की एजेन्सी, बिल संख्या व दिनाँक	विज्ञापन की राशि	विज्ञापन का उद्देश्य
1	32/12.6.13	MBMA dvertising & PR Agency-Nahan, Bill No. 1324/28.03.13 (PB. Kesri)	10000	प्रदेश वासियों को होला मोहल्ला की शुभकामनायें
2	36/12.6.13	Suvidha Communication-Paonta Sahib. Bill No. 1335/31.03.13 (Amar Ujala)	10000	होला मोहल्ला की शुभकामनायें

3	53/22.6.13	The Hind Samachar Ltd. Bill No. 1002372091/16.4.13 (pb. Kesri)	4860	हिमाचल दिवस की शुभकामनायें
4	63/29.6.13	Dainik Bhaskar group of Publication-Shimla. Bill No. 4176/26.01.13 & 4347898/15.4.13	5000 10000	गणतन्त्र दिवस की शुभकामनायें हिमाचल दिवस की शुभकामनायें
5	64/29.6.13	Apka Faisla Parkasan Pvt.Ltd. Hamirpur Bill No. 21034/27.03.13 & 18284/15.08.12	10000 5000	होली मेले की शुभकामनायें स्वतन्त्रता दिवस की शुभकामनायें
6	65/29.6.13	Himachal Dustak Media Pvt.Ltd Kangra Bill No. 2305/25.08.12, 6395/10.03.13 & 6907/27.03.13	4000 5000 5000	स्वतन्त्रता दिवस की शुभकामनायें महाशिवरात्रि की शुभकामनायें होला मोहल्ला की शुभकमनायें
7	66/29.6.13	Divya Himachal Parkashan Pvt.Ltd. Bill No. 140839/15.8.12	5000	स्वतन्त्रता दिवस की शुभकामनायें
		कुल जोड़	**73860**	

उक्त अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए व्यय को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से भरपाई की जाए।

30 दोमासिक आधार पर निर्धारित मोबाईल चार्जिज (Bi-Monthly mobile charges) के रूप में ₹7200 का अधिक भुगतानः–

चयनित माह के व्यय वाउचर संख्या 25 दिनाँक 16.01.13 ₹1800/– का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री सुशील कुमार मित्तल, कार्यकारी अधिकारी को ₹600/– प्रतिमाह की दर से अवधि 10 से 12/2012 तक=3 माह के ₹1800/– दो मासिक आधार पर

निर्धारित मोबाईल चार्जिज के रूप में चैक संख्या 437743 दिनाँक 16.1.13 द्वारा भुगतान किया गया था जबकि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C) -(7)-19/97-II 10199-10246 दिनाँक 15.9.07 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उन्हें यह भुगतान ₹400/– दो मासिक अर्थात ₹200/– प्रतिमाह के आधार पर देय था। इस प्रकार उन्हें इस प्रकरण में ₹1200/– का अधिक भुगतान किया गया था किन्तु विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस अनियमितता के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान उन्हें निम्न विवरण के अनुसार ₹7200/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित छानबीन करके नियमानुसार अधिक भुगतान की राशि को सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए परिषद निधि की भरपाई की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	**चैक संख्या व दिनाँक**	**भुगतान की गई राशि (₹) में**	**₹200 प्रतिमाह की दर से देय राशि (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
1/12 to 3/12=3M	701122/7.5.12	1800	600	1200
4/12 to 6/12=3M	43194/6.8.12	1800	600	1200
7/12 to 9/12=3M	437703/27.9.12	1800	600	1200
10/12 to 12/12=3M	437743/16.1.13	1800	600	1200
1/13 to 3/13=3M	437743/12.4.13	1800	600	1200
4/13 to 6/13=3M	299908/23.7.13	1800	600	1200
	कुल जोड़	**10800**	**3600**	**7200**

31 ₹8500/– मकान किराया भत्ता का अनियमित भुगतानः–

चयनित माह के वेतन वाउचर संख्या 2.1.13 व 2.6.13 क्रमशः ₹246626 व ₹227614 का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री सुशील कुमार मित्तल, कार्यकारी अधिकारी को ₹600/– प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा था। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार पौंटा साहिब में कार्यकारी अधिकारी के लिए अलग से चिन्हित (earmarked) कार्यकारी अधिकारी आवास संख्या 9 उपलब्ध है किन्तु इस आवास का उक्त कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी सेवा निवृति तिथि 30.6.13 तक अधिभोग (occupy) नहीं लिया गया था जिसके कारण वर्णित आवास खाली रहा।

हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या GAD-D-7 (G) 1-12/81-II दिनाँक 26.4.12 द्वारा अधिसूचित नियमों के नियम 10 (6) जोकि तत्काल प्रभाव से लागू थे, में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "वे अधिकारी/पदाधिकारी जो चिहिन्त आवास का अधिभोग नहीं लेते है वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होगें"। इस प्रकार श्री सुशील कुमार मित्तल, कार्यकारी अधिकारी मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं थे तथा विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस अनियमितता के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान उन्हें अवधि 26.4.12 से 30.6.13=14 माह 5 दिनों तक ₹600/– प्रतिमाह की दर से ₹8500/– मकान किराया भत्ता का अनियमित भुगतान किया गया था जिसकी उचित छानबीन करके नियमानुसार अनियमित भुगतान की राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

32 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं का OPIMUM उपयोग न करने के कारण परिषद निधि पर लगभग ₹6.95 लाख प्रतिवर्ष का सम्भावित अतिरिक्त प्रभारः–

चयनित माह के वेतन व्यय व भुगतान वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नगर के एक वार्ड 5 नं0 को छोड़कर शेष सभी 10 नं0 वार्डों की सफाई का कार्य आउटसोर्स करके निजी ठेकेदारों को सौंपा गया था जिस पर प्रतिमाह ₹244400/– (वित्तीय वर्ष 2013–14) अर्थात औसतन ₹24440/– प्रति वार्ड खर्च आ रहा था। आगे अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को एक वार्ड में औसतन 5 सफाई कर्मचारी रखने आवश्यक थे। सफाई का कार्य आउटसोर्स करने के बावजूद परिषद में कार्यरत्त 18 कर्मचारियों (16 नियमित+2 दिहाड़ीदार) को न तो Surplus ही घोषित किया गया था और न ही वर्तमान या अन्य सेवाओं में समायोजित करके इनकी सेवाओं का Optimum उपयोग ही किया जा रहा था जबकि इनके वेतन व भत्तों (पैन्शन/उपदान की 12/5**%** अभिदान सहित) पर प्रतिमाह लगभग ₹3.00 लाख (₹माह 6/13) का औसतन खर्च आ रहा था और इनके पास केवल एक वार्ड व कार्यालय ही सफाई कार्य हेतु शेष बचा था। परिषद द्वारा सफाई ठेकेदार को एक वार्ड में औसतन 5 सफाई कर्मचारी रखने का जो मापदंड तय किया गया था, उसी को भी अगर आधार मान लिया जाये तो मस्ट्रोल पर रखे गये 2 दिहाड़ीदार सफाई कर्मचारियों की सेवाएँ जारी रखने का औचित्य ही नहीं बनता था तथा साथ में कम से कम आउटसोर्स 2 अतिरिक्त वार्डों की सफाई का

कार्य भी विभागीय स्तर पर निष्पादित किया जा सकता था जिससे प्रतिमाह परिषद को लगभग ₹0.58 लाख व वित्तीय वर्ष में ₹6.95 लाख की बचत भी हो सकती थी और कार्यरत्त 16 नियमित कर्मचारियों की सेवाओं का Optimum उपयोग भी सम्भाव हो जाता परन्तु ऐसा करने में परिषद विफल रही। इसके अतिरिक्त परिषद भविष्य में सफाई कर्मचारियों की सेवा निवृति के साथ ही पदों को समाप्त (Abolish) करने तथा शतप्रतिशत सफाई का कार्य आउटसोर्स करने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। अतः यह सारा प्रकरण उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में छानबीन उपरान्त यथोचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है ताकि कार्यरत्त 16 नियमित कर्मचारियों की सेवाओं का Optimum उपयोग सुनिश्चित हो सके।

33 स्थायी अग्रिम की recoupment बिल में पाई गई अनियमितताएं (वाउचर संख्या 46 दिनाँक 21.6.13=₹4995)

स्थाई अग्रिम की recoupment बिल ₹4995/– का भुगतान श्री तेजपाल, लिपिक को चैक संख्या 437799 दिनाँक 21.6.13 द्वारा किया गया था जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

(i) इम्प्रेस्ट वाउचर संख्या 19 दिनाँक 18.6.13 ₹850/–

नगर परिषद की हल्की माल वाहक गाड़ी संख्या HP-17-4209 की पासिंग फीस RLA पौंटा साहिब को उनकी रसीद संख्या AA 56133 दिनाँक 27.2.13 द्वारा जमा की गई थी जिसमें ₹500/– दंडात्मक पासिंग शुल्क के शामिल थे जिसका अंकेक्षण को कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। अतः यह भुगतान अनियमित एवम परिषद निधि पर अनुचित प्रभार है जिसे या तो सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर इस राशि की वसूली पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से की जाये।

(ii) इम्प्रेस्ट वाउचर संख्या 26 दिनाँक 18.6.13 ₹600/–

डाक टिकटों के क्रय पर ₹600 का व्यय दर्शाया एवम स्वीकृत किया गया था परन्तु न तो डाक टिकटों के क्रय का व परिषद कार्यालय में इनकी प्राप्ति का कोई प्रमाण अंकेक्षण को दिखाया गया और न ही डाक टिकट रजिस्टर में क्रय की गई डाक टिकटों की प्राप्ति की

प्रविष्टि ही की गई थी। इसके अतिरिक्त डाक टिकटों का हस्तगत शेष अन्तिम बार दिनाँक 26.2.11 (रजिस्टर पृष्ठ–59) को निकला गया था जोकि (–)₹3 था तथा इस तिथि के उपरान्त हस्तगत शेष निकला ही नहीं गया था और दिनाँक 10.10.11 (रजिस्टर पृष्ठ–66) के उपरान्त तो वर्णित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि ही नहीं की गई थी बल्कि रजिस्टर खाली पड़ा था। इन परिस्थितियो में उक्त ₹600/– के दुर्विनियोजन/गबन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण की पूर्ण छानबीन करके ₹600/– की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए परिषद निधि की भरपाई की जाये। इसके साथ अपूर्ण डाक टिकट रजिस्टर का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसे पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने सम्बन्धी अनियमितताएंः–

चयनित मासों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के आंबटन से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की जा रही थी जैसे कि निर्माण कार्यों के विभागीय औचित्य तैयार न करना, टैन्डर खोलते समय लिफाफों पर टैन्डर खोलने की तिथि बारे सत्यापन न किए जाना, कार्य आंबटन पत्र पर कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूरा न भरना, निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कोन्टरेक्टर लेजर का नियमानुसार सही अनुरक्षण न किए जाना, माप पुस्तिकाओं में कटिंग्स/ओवर राईटिंग का सत्यापन न किया जाना, कई माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाना, निर्माण कार्य में उपयोग हुई सामग्री कि खपत विवरणी तैयार न करना, आकलन को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही निर्माण कार्य करवाना, प्रत्यर्पणीय प्रतिभूतियों के प्रतिदाय के समय नियमानुसार सत्यापन न किये जाने बारे आदि उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न वर्णित हैः–

क्रमाँक	ठेकेदार का नाम/कार्य का नाम	पाई गई त्रुटियों/कमियों का विवरण
1	Sh. Avtar Singh Re-metting of road near Gurudwara Sahib	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by

		contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.
2	Sh. Jagjit Singh C/O drain by laying RCC pipe from near the H/O Sh. Layak Ram Sharma towards Badrinagar Chowk in W.N. 4	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared. 8. deviation not approved by competent Authority.
3	Sh. Surinder Negi Re C/O drain by laying RCC pipe from the H/O Sh. Ramesh Vaish near the H/O Sh. Mohammed Sadiq along the Main Bazar, W.N. 08	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.
4	Sh. Shamshed Ali Re C/O Toilet Block in Indira Market in W.No. 7	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.

5	Sh. Shamshed Ali Re C/O drain by laying RCC pipe from the shop of Sh. Labhu Ram Vashishth to the Vishwakarma Chowk in W.N. 8	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.
6	Sh. Shamshed Ali C/O Nallah near Kirpalshilla Gurudwara in W.N. 10	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared. 8. No. award letter shown to have been issued
7	Sh. Shamshed Ali R/O Chamber & Slabs in kishanpura Jamukhala Road Paunta Sahib	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.
8	Sh. Shamshed Ali Rennovation/Repair of H/O Sh. surinder, Ghasita Ram etc. w.N. 5 BalmikiBasti Paunta Sahib	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction

		6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.
9	Sh. Shamshed Ali C/O Sock Pit in W.N. 1 near the H/O Sh. Rajeev Gupta	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared.
10	Sh. Shamshed Ali C/O drain from Primary School to the H/O Smt. Nisha in W. N0. 1	1. No. Royality deducted 2. No. comparative statement of rates prepared 3. Quoted rates not written in words by contractor 4. No. detailed estimate approved 5. No. A/A & E/S and Technical Sanction 6. No. agreement/contract 7. No. deviation statement prepared. 8. No. award letter shown to have been issued

नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया का पूर्ण न किया जाना तथा ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियाँ न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए। मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

35 कार्य का नाम Re-metting of road near Gurudwara Sahib

ठेकेदार का नामः– Sh. Avtar Singh

माप पुस्तिका पृ0सं0 /

वाउचर का विवरण MB No. 125 पृ0 5 से 8, Voucher No. 29 dated 23.1.13=₹210029 (net)

उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रथम व अन्तिम चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) ₹12979/– का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 3, P/Land rolling of open graded pre-mixed carpet of 20mm thickness etc. हेतु ठेकेदार द्वारा ₹134/– प्रति वर्गमीटर की दर quote की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट "प"** से स्पष्ट होता है, किन्तु उन्हें ₹139 प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया था (MB No. 125 पृष्ठ 7)। अतः इस प्रकार ठेकेदार को इस मद की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा ₹2595.86 वर्गमीटर हेतु ₹12979 (2595.86 वर्गमीटर x₹5(139–134) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाये।

(ख) टैंडर की शर्त अनुसार ठेकेदार द्वारा खाली Bitumen के ड्रम नगर परिषद को वापिस लौटाए जाने अपेक्षित थे किन्तु ठेकेदार को जारी 70 ड्रम बारे अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया। अतः इस की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये अन्यथा निर्धारित दर से ठेकेदार से वसूली सुनिश्चित की जाये।

36 विभिन्न निर्माण कार्यों की Demolition से सम्बन्धित कार्य मदों से प्राप्त Serviceable material की गणना न करने बारे अनियमितताः–

चयनित मासों में निम्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि Demolition से सम्बन्धित कार्य मदों से प्राप्त होने वाले Serviceable material की न तो कोई गणना ही की गई थी और न ही इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कोई प्रमाण पत्र ही माप पुस्तिका में दर्ज किया गया था जोकि अनियमित है। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रमाँक	ठेकेदार का नाम/कार्य का नाम	कार्य मद संख्या/विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	माप पुस्तिका व पृ0सं0
1	Sh. Shamshed Ali Rennovation/Repair of H/O Sh. Surinder, Ghasita	Item No. 2 Demolition of brick work above G.L. upto floor two	30.69 cum	114 p-8

	ram etc. W.N. 5 BalmikiBasti Paonta Sahib	level including stacking of serviceable materials etc.		
2	Sh. Shamshed Ali C/O drain from Primary School to the H/O Smt. Nisha in W.N. 1	Item No. 1 Demolition of below G.L. 1.5m depth & disposal of unserviceable material within 20m lead in unRCC upto 15 cm thickness	4.50cum	123 p-12
3	Sh. Shamshad Ali Drain fron the shop of Roshan Tailor towards the shop of Sh. Dayanand W.N. 7	Item No. 1 Demolition of below G.L. 1.5m depth & disposal of unserviceable material within 20m lead in unRCC upto 15 cm thickness	13.45cum	123p-29 & 30
4	Sh. Shamshad Ali Re C/O drain by laying RCC pipe from the shop of Sh. Labhu Ram Vashishth to the Vishwakarma chowk in W.N. 8	Item No. 1 Demolition of below G.L. 1.5m depth & disposal unserviceable material within 20m lead in unRCC upto 15 cm thickness	65.60cum	111p-92
5	Sh. Shamshad Ali C/O Toilet Block in M.C. Park in W.N. 8	Item No. 1 Demolition of brick work above G.L. upto floor two level including stacking of serviceable materials etc. Item No. 2 Demolition	12.31 cum	11p-27

		above G.L. upto floor two level including disposal of unserviceable materials within 20m lead and including cutting the necessary reinforcement and separating out from RCC/R.B. work	1.20 cum	113p-27
6	Sh. Shamshad Ali Re C/O drain from the H/O Sh. Mehandi towards Gurudwara kripshilla W.N. 10	Item No. 1 Demolition of below G.L. 1.5m depth & disposal of unserviceable material within 20m lead in unRCC upto 15 cm thickness	5.20 cum	119p-66 & 67

37 गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹690/– का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– Re C/O drain by laying RCC pipe from the shop of Sh. Labhu Ram Vashihth chowk in W.N. 8

ठेकेदार का नामः– Sh. Shamshad Ali

माप पुस्तिका पृ0सं0/

वाउचर का विवरणः– MB No. 122 पृष्ठ 30 voucher No. 36 (9) dated 29.01.13 =₹305409 (net)

उक्त कार्य की मद संख्या 6, Brick work in 1st class comman brunt clay building bricks in superstructure, की निष्पादित प्रमात्रा में से Deduction की गणना करते समय सूत्र में 700mm RCC pipe का dia .70m की अपेक्षा .60, लिया गया था जिसके कारण ठेकेदार को कार्य प्रमात्रा का 0.23cum (1x5x2x11/4(.70)x.23)-(1x5x2x11/4(.60)x.23) का ₹2300 की दर से ₹690/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

38 गलत दर से भुगतान के कारण ठेकेदार को ₹33500/– का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– Re C/O drain from the H/O Sh. Mehandi towards Gurudwara Kripshilla W.N. 10

ठेकेदार का नामः– Sh. Shamshad Ali

माप पुस्तिका पृ0सं0/

वाउचर का विवरण MB No. 119 पृष्ठ 68 Voucher No. 36 (12)dated 29.01.13=₹419472 (net)

(क) उक्त कार्य की मद संख्या 4" P/L (to level of slope) and jointing reinforced concrete heavy duty non pressure pipe etc." के निष्पादन हेतु ठेकेदार से ₹1400/– RMT की दर negotiation नगर परिषद की आम सभा दिनाँक 21.10.11 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 (16) (Proceedings रजिस्टर Page-16) से स्पष्ट विदित होता है किन्तु इसके विपरीत ठेकेदार को इस कार्य मद का भुगतान ₹1500 RMT की दर से किया गया था जिसके कारण कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 167.50 Rmt का ₹100 RMT ₹1500–₹1400) की दर से ₹16750 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सम्बन्धित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) इसी तरह उक्त कार्य के Phase II के निष्पादन हेतु भी ठेकेदार को इसी कार्य मद संख्या 4" P/L (to level of shop) and jointing reinforced concrete heavy duty non pressure pipe etc." की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 167.50 Rmt हेतु इसी दर से ₹16750 का ही अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली भी सम्बन्धित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। (माप पुस्तिका 125 पृष्ठ संख्या 10 to 16)

39 ₹143028/– के व्यय का टैंडर केस, विभागीय औचित्य व अनुबन्ध इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या 46 दिनाँक 21.6.13 =₹143028/–)

नगर परिषद द्वारा मैसर्ज पी0के0 एसोसिएटस पौंटा साहिब को Architectural drawings, detailed estimates & other technical details तैयार करने का कार्य अनुमानित लागत का 1.68% की दर से आंबटन पत्र संख्या MCP/Works/2012-13/29 दिनाँक 09.01.13 द्वारा आंबटित किया गया था तथा उन द्वारा ₹106.42 लाख की अनुमानित लागत का कार्य करने

पर प्रस्तुत बिल संख्या 68 दिनाँक 28.3.13 ₹133627 व 04 दिनाँक 8.5.13 ₹45158 का भुगतान (MB No. 112 पृष्ठ 82 & 84) चैक संख्या 389985 दिनाँक 21.6.13=₹143028/– द्वारा किया गया परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख जैसे टैंडर को, विभागीय औचित्य व अनुबन्ध इत्यादि बार–2 माँगने पर भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में कार्य आबंटन एवम कार्य को सरकारी संस्था लोक निर्माण विभाग की अपेक्षा संस्था से करवाए जाने सम्बन्ध औचित्यता की सत्यापना अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः वर्णित समस्त अभिलेख आंबटित कार्य की पूर्ण औचित्यता सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

40 लॉग बुक्स का नियमानुसार रख–रखाव न किए जाने बारेः–

चयनित मासों में लॉग बुक की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की विभिन्न वाहनों की लॉग बुक्स का रख–रखाव नियमानुसार न किये जाने के कारण विभिन्न अनियमितताएं पाई गई जैसे कि लॉग बुक (एच0पी0–17 ए–3939) में स्थान जहाँ वाहन चलाया जाता है का विवरण सम्बन्धित स्तम्भ में न भरना केवल लोकल लिखना, चालक द्वारा हस्ताक्षर न करना, सक्षम अधिकारी द्वारा कटिंग्स (पृष्ठ संख्या 30) सत्यापित न करना, सक्षम अधिकारी द्वारा लॉग बुक (एच0पी0–17–3630) में दर्ज दैनिक प्रविष्टियों (माह 06/13) तथा वाहन की निकाली गई मासिक औसत का नियमित रूप से सत्यापन न करना (माह 06/13 तथ्ाा 07/13) मीटर रीडिंग न भरना, वाहनों की मासिक औसत (एच0पी0–17बी–1353 तथा एच0पी0–17 बी–1354) न निकलना आदि जिस कारण दर्शाई गई यात्राओं की सत्यता की पुष्टि सम्भव नहीं हो पाती है तथा वाहन/डीजल के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार उचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में लॉग बुकों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 स्टोर व स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापना करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति से निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक

कदम उठाएंगे। नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना है। अतः अब उक्त प्रावधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

42 सीमेन्ट के भण्डार लेखों का सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) न करने के कारण अनियमितताऐंः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर एवम अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया इनका न तो सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) ही किया गया था और न ही वित्तीय वर्ष के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual Physical Verification) ही किया जा रहा था जिसकी अनुपस्थिति में सम्बन्धित भण्डार लेखें सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहे थे जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसी परिस्थिति में भण्डार में सीमेन्ट के दुरूपयोग या Pileprage होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान पाई अनियमितताएं निम्न वर्णित है जिससे स्थिति स्वतः ही स्वष्ट हो जाती हैः–

(i) बिना indent के भण्डार से 410 सीमेन्ट बैग जारी दर्शाना

दिनाँक	भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि की सं0	भण्डार से जारी दर्शाई गई मात्रा (बैग में)	सीमेन्ट जारी करने से पूर्व शेष (बैग में)	सीमेन्ट जारी करने के बाद शेष (बैग में)	भण्डार रजिस्टर पृ0सं0	जिसके नाम सीमेन्ट जारी किया दर्शाया गया
12.4.12	884	150	661	511	58	Sh. Jai Prakas & Sons, Contractor
3.5.12	886	40	501	40	58	Sh. Manoj Bhardwaj, Contractor
7.5.12	887	50	461	411	58	Sh. Jai Prakash & Sons, Contrator
2.11.12	956	30	219	189	63	Sh. Shamshad Ali, Contractor
6.11.12	957	10	189	179	63	Sh. Lalit Goyal, JE

24.12.12	965	25	293	268	3	Sh. Shamshad Ali, Contractor
28.6.13	1051	30	310	280	12	Sh. Dinesh Gupta, Contractor
2.8.13	1056	25	185	160	12	Sh. Shamshad Ali, Contractor
		410				

(ii) indent से जारी सीमेन्ट की मात्रा भण्डार रजिस्टरों में गलत दर्ज करनाः–

Indent संख्या	**दिनाँक**	**माँगी/प्राप्त की गई सीमेन्ट की मात्रा (बैग में)**	**भण्डार में जारी दर्शाई गई मात्रा (बैग में)**	**अन्तर (प्रतिबैग में)**	**भण्डार रजिस्टर पृ0सं0**
SKM 20	6.8.12	30	20	(–) 10	61
SKM 31	5.9.12	15	5	(–) 5	63
SKM 62	8.4.13	50	5	(–) 45	8

(iii) अन्तिम हस्तगत शेष में त्रुटियाँ

दिनाँक	**भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि की सं0**	**आरम्भिक हस्तगत शेष (बैग में)**	**सीमेन्ट की जारी दर्शाई गई मात्रा (बैग में)**	**अन्तिम हस्तगत शेष जो होना चाहिए था (बैग में)**	**अन्तिम हस्तगत शेष जो लिया गया (बैग में)**	**अन्तर (बैग में)**	**भण्डार रजिस्टर पृ0सं0**
11.03.13	997	143	40	103	113	(+) 10	6
3.5.13	1033	88	30	58	50	(–)8	10
28.6.13	1051	310	30	280	290	(+) 10	12
29.1.14	1082	162	20	142	132	(–) 10	14

(iv) उक्त (iv) के अतिरिक्त, भण्डार रजिस्टर खण्ड–IV प्रविष्टि संख्या 959 दिनाँक 21.11.12 को (पृष्ठ संख्या 64) पर सीमेन्ट का अन्तिम हस्तगत शेष 134 बैग था जिसे नये भण्डार

रजिस्टर खण्ड–v के पृष्ठ संख्या 3 पर 188 बैग अग्रेषित किया गया था (प्रविष्टि संख्या 960 दिनाँक 01.12.12) जिसमें 54 बैग का अन्तर पाया गया।

(v) भण्डार रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2011–12 में जारी indents की प्रविष्टियाँ अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 में करनाः–

भण्डार रजिस्टर में indents की प्रविष्टियाँ तिथियों के क्रम में नहीं की गई थी बल्कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवधि 04.3.11 से 27.2.12 के दौरान विभिन्न तिथियों को जारी किये गये 470 सीमेन्ट के बैग की प्रविष्टियाँ अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिनाँक 12.6.12 के उपरान्त प्रविष्टि संख्या 893, 908/1 व 909, 913 व 914, 920 व 921 व 923 से 936 (पृष्ठ संख्या 60 से 62) पर दर्शाई गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल है तथा भण्डार लेखों की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करती।

उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के अतिरिक्त भण्डार रजिस्टर में सीमेन्ट के आरम्भिक व अन्तिम शेष में बहुत सी cuttings] overwriting व alterations पाई गई जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था। अतः यह सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में विस्तृत छानबीन करवाकर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान अंकेक्षण अवधि के सम्पूर्ण सीमेन्ट भण्डार लेखे ंको नवीन स्तर से अध्यतन (updation) करके इसकी भौतिक सत्यापन करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

43 Indent सम्बन्धी अनियमितताएंः–

इस सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएं निम्न प्रकार से है जिनका समाधान छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति का पता लगाकार नियमानुसार उचित कार्यवाही करके किया जाये तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) Indent संख्या SKM 26 दिनाँक 16.2.13 को रद्द किया गया था परन्तु इसकी मूल प्रति गायब थी इसलिए इंडेंट रद्द करने की कार्यवाही संशयपूर्ण है।

(ख) Indent संख्या SKM 100 मूल प्रति सहित तीनों प्रतियाँ इंडेंट बुक से गायब थी। अंकेक्षण अवधि 04.04.12 तक जारी इंडेटस की कोई क्रम संख्या नहीं थी जिसके उपरान्त इंडेटस पर क्रम संख्या हाथ से लिखी गई थी जोकि अनियमित है। भविष्य में इन्डेन्टस क्रम संख्या नम्बर

अंकित की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि जारी इंडेटस की अंकेक्षण में सत्यापन की जा सके।

(ग) इंडेंटस के स्टॉक का रख–रखाव नहीं किया गया था।

44 सीमेन्ट को सरकारी उपक्रम के माध्यम से क्रय करने की अपेक्षा स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय करने ₹6.94 लाख की सम्भावित वित्तीय हानिः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के साथ उपलब्ध करवाये गये सम्बन्धित अभिलेख, जैसे विक्रेता फर्मों के बिल/चालान इत्यादि जिनका विवरण **परिशिष्ट "फ"** पर उपलब्ध है, के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा लगभग 70% सीमेन्ट की खरीद स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर की गई जिसके कारण निम्न विवरण के अनुसार परिषद को लगभग ₹6.94 लाख की सम्भावित हानि उठानी पड़ी जिसे दूरदर्शी एवम सुघड़ स्टोर स्टॉक व वित्तीय प्रबन्धन के चलते बचाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त खुले बाजारी से क्रय हेतु नियमानुसार अपनाये जाने वाली विहित प्रक्रिया व सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः यह प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के ध्यान में विस्तृत छानबीन करवाकर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ही सीमेन्ट क्रय करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अवधि	**सीमेन्ट क्रय की कुल मात्रा (बैग में)**	**खुले बाजारी से सीमेन्ट क्रय की कुल मात्रा (बैग में)**	**खुले बाजार से सीमेन्ट क्रय की प्रतिशतता**	**खुले बाजार से सीमेन्ट क्रय की दर (₹ में)**	**आपूर्ति निगम के माध्यम से सीमेन्ट क्रय दर (₹ में)**	**क्रय दर में अन्तर (₹ में)(5–6)**	**सम्भावित हानि की राशि (₹ में) (3ग7)**
1.4.12 से 31.3.14	8520	6000	70.42%	283.32	167.64	115.68	₹694080

45 ₹2161/– की क्रय की गई वस्तुओं की भण्डार में कम गणना करना (वाउचर संख्या 18 दिनाँक 09.01.13=₹4322)

नगर परिषद ने मैसर्ज खुराना एनटरप्राईजिज पौंटा साहिब से बिल संख्या 17377 दिनाँक 08.08.12 द्वारा 20-20 capacitor copper 10 व 20 MFD ₹4322/– में क्रमशः ₹90 व ₹100+13.75**%** Vat की दर क्रय किये थे जिसका भुगतान उन्हें चैक संख्या 633675 दिनाँक 9.1.13 के माध्यम से किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार रजिस्टर (1.6.12 से) के पृष्ठ संख्या 48 व 71 में केवल आधी मात्रा अर्थात 10–10 नं0 Capacitor copper की ही गणना की गई थी। इस प्रकार शेष आधी मात्रा अर्थात 10–10 नं0 Capacitor copper जिसका क्रय मूल्य ₹2161/– (₹4322/2) है, की दुर्विनियोजन/गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण की पूर्ण छानबीन करके ₹2161/– की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए परिषद निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

46 ₹10574/– की क्रय की गई लेखन सामग्री व अन्य वस्तुओं का सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में नियमानुसार सही लेखांकन न करनाः–

नगर परिषद द्वारा मैसर्ज तारा सिंह एंड सन्ज पौंटा साहिब को समय–2 पर अवधि 11.7.11 से 3.8.12 तक के दौरान क्रय की गई ₹10574/– की लेखन सामग्री व अन्य वस्तुओं के 17 नं0 बिलों का भुगतान चैक संख्या 389994 दिनाँक 29.6.13 द्वारा किया गया था जिसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) क्रय की गई वस्तुओं में Photostat paper, Pencil cell, calculator, pen, file board, Carbon paper, registers, cash bag, slip pad, chalk, executive diary, stamp pad, tap roll, Lock & gum इत्यादि शामिल थी। नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति, निर्गम व हस्तगत शेष की प्रविष्टि क्रय व निर्गम तिथि के क्रम में मदवार (itemwise) अलग–अलग उल्लेखित की जानी अपेक्षित थी किन्तु इसके विपरीत भण्डार रजिस्टर में केवल बिलों का ही इन्द्राज पृष्ठ संख्या 174 से 178 तक किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि इससे एक विशेष तिथि को वस्तुओं के स्टॉक की सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती।

(ii) क्रय की गई उपभोगीय वस्तुओं के साथ–2 स्थाई वस्तुओं को भी बिलों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि के नीचे केवल एक लाईन "कार्यालय प्रयोग के लिए सम्बन्धित को जारी की गई" लिखकर खारिज कर दिया गया जोकि सही विधि नहीं है और स्थाई व अर्धस्थाई वस्तुओं जैसे Calculator, Lock, Cash bag, stamp pad इत्यादि का तो हस्तगत शेष नियमानुसार "शून्य" होना ही नहीं था इन परिस्थितियों में उक्त क्रय की गई ₹10574 ⁄– की वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

(iii) क्रय की गई वस्तुओं के बिलों का भुगतान क्रय तिथि से 1–2 वर्षों के अन्तराल के बाद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि वर्णित क्रय की गई वस्तुएं वास्तविकता में कार्यालय में प्राप्त हुई है और इन बिलों का भुगतान कार्यालय द्वारा पूर्व में नहीं किया गया था।

उक्त वर्णित अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इन प्रकरणों में पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति का पता लगाया जाए तथा साथ में सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर का नियमानुसार सही लेखाँकन एवम अध्ययन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

47 ₹21.57 लाख की भण्डार वस्तुओं का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 15.19 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भण्डार में वस्तुओं के हस्तगत शेष युक्तिसंगत समयावधि की आवश्यकताओं से अधिक या निर्धारित मात्रा की सीमा से अधिक नहीं रखे जाने चाहिए। इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी नियतकालिक निरीक्षण करेगा तथा भण्डार में पाई गई आवश्यकता से अधिक, अनुपयोगी व निष्क्रिय वस्तुओं की सूचना सक्षम प्राधिकारी को इन वस्तुओं के निस्तारण आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगा। परन्तु चयनित माह के व्यय वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में लाखों ₹ की क्रय की गई वस्तुएं लगभग दो वर्षों से भी अधिक समय से अनुपयोग पड़ी थी जिनका न तो अंकेक्षण अवधि तक उपयोग ही दर्शाया गया था और न ही इनके शेषों को अगले वर्षों के नये रजिस्टरों में ही अग्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त नियमानुसार भण्डार में शेष वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में संशय उत्पन्न होता है कि भण्डार में

शेष अनुसार वस्तुएं वास्तविकता में भौतिक रूप में मौजूद है भी कि नहीं तथा ऐसे में इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति का पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	तिथि जब से वस्तुएं भण्डार में अनुपयुक्त पड़ी है	वस्तु का नाम	भण्डार में शेष की मात्रा	वस्तुओ ंकी दर (₹) में	वस्तुओं का कुल मूल्य (₹) में	सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर पृ0सं0
1	4.12.12	Bitumen	170 Drum	7458	1267860	5
2	25.4.12	Slab/Chamber jali	579.600Kg (17 No.)	60	31176	53
3	24.7.12	Tube Rod	464	33	15312	12
4	5.1.13	Tube Rod	600	34.45	20669	13 & 18
5	24.7.12	Tube choke 40w	80	118	9440	19
6	4.1.13	Tube Chowk	73	84.50	6169	19
7	9.3.12	Tube Starter	500	6	3000	23
8	7.3.12	Tube Starter	360	10	3600	23
9	3.1.13	Tube Starter	150	5.70	855	25
10	24.11.11	Tube Holder	297	5	1485	29
11	7.6.12	SVL Fixtures 150w	45	1406	63270	36
12	24.8.12	Bulb 150w	19	280	5320	41
13	30.8.12	Choke 150W	21	655	13755	44
14	8.8.12	Capacitor 150 W	28	90	2520	48
15	5.1.13	Capacitor 150 W	100	88	8800	48
16	25.7.12	Ignatus 150W	400	66	26400	53
17	23.3.12	Holder 150W	59	50	2950	57
18	24.7.12	SVL Blub 70 W	171	195	33345	66
19	30.11.12	SVL Blub 70 W	50	194	9700	66

20	8.8.12	Capacitor 150W	24	113.75	2730	71
21	5.1.13	Capacitor 150W	100	80	8000	72
22	26.7.10	Ignatus 70 W	132	75	9900	75
23	24.7.12	Chowk 70W	38	449	17062	176
24	24.11.12	CFL Blub 85W	24	580	13920	177
25	24.11.12	CFL Blub 85W	24	490	11760	181
26	10.12.12	Blub	101	250	25250	183
27	10.12.12	Surya Choke 150W	100	680	68000	184
28	19.6.12	Holder 70W	15	31	465	79
29	11.12.12	Steel Pole Clamps	154	240	36960	68
30	5.1.12	PVC Wire 2.5 mm	2 roll	425	850	110
31	18.10.11	GI Pipe 1.5"	1 No.	190	190	115
32	13.7.11	GI Pipe 1"	32 No.	160	5120	121
33	9.3.12	PVC Wire 2.5 mm	7 roll	425	2975	136
34	14.5.12	Cement Pole Clamp 8" 9" 11"	73 No.	180	13140	149
35	3.6.12	Main Switch 200/400/100Amp	5 No.	7050+vat	37096	152
36	20.9.10	File Covers	596 No.	5	2980	5
37	8.4.09	Duplicating Paper	17 Rim	80	1360	15
38	22.03.12	Noting Sheet	7 Pad	22	154	25
39	4.10.10	Registers 96 Pages	82 No.	19	1558	32
40	21.8.12	Ball Pen	12 No.	10	120	62
41	30.7.12	Ball Pen Refills	23 No.	3	69	64

42	13.1.11	Ball Pen Red	7 No.	9	63	66
43	3.6.11	Ball Pen Refills Blue	180 No.	3	540	76
44	6.5.10	Hi-tech Pen Green	4 No.	33	132	85
45	30.11.06	Pin Cussion	6 No.	6.50	39	91
46	1.8.09	Office Paste	22 No.	10	220	93
47	28.6.08	Carbon black	900 No. or 9 Pkt	140	1260	97
48	19.12.11	Ball Pen	12 no.	10	120	100
49	27.12.07	Envelop Cloth 324x453	94 No.	2.05	193	101
50	17.7.08	Envelop khakhi 6x3	3500 No.	160 / per 000	560	103
51	30.4.08	Hi-tech Pen red	8 No.	33	264	105
52	31.7.08	Tag	63 Guchhe	10	630	119
53	16.5.07	Carbon black small	900 No. or 9 PKT	110	990	129
54	31.7.08	Typing paper	43 Rim	110	4730	139
55	31.7.09	Pilot Pen black	7 No.	28	196	143
56	29.9.12	Fuel wood for shamshanghat	409.95 Qtl.	450	184478	47
57	31.12.12	-do-	109.30 Qtl	450	49185	49
58	8.5.13	-do-	194.60 Qtl	450	87570	53
59	2.1.13	-do-	90.45 Qtl	450	40702	54
				कुल जोड़	**2157157**	

48 विभिन्न भण्डार रजिस्टरों व चैक रजिस्टरों इत्यादि का या तो रख–रखाव ही न करना या सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्ययतन (updation) न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध सम्बन्धित भण्डार रजिस्टरों एवम सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि इनका न तो सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्ययतन (updation) ही

किया गया था और न ही वित्तीय वर्ष के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual Physical Verification) ही किया जा रहा था जिसकी अनुपस्थिति में सम्बन्धित भण्डार लेखें सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहे थे जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसी परिस्थिति में भण्डार से वस्तुओं के दुरूपयोग या Pilferage होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न वर्णित है जिससे स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैः–

(i) अभिलेख जिसका रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा था

(1) पैन्शन चैक रजिस्टर (PCR)

(2) फोटोस्टेट चैक रजिस्टर

(3) Contractor ledger:–

इसके रख–रखाव न करने के अभाव में चयनित आधार पर यह सत्यापन सम्भव नहीं हो सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु स्टॉक से जारी किये गये औसतन लगभग ₹36 लाख मूल्य के 8455 नं0 सीमेन्ट बैग व 197 No. Bitumen ड्रम की सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूली वास्तविकता में सुनिश्चित की गई है की नहीं।

(4) अनुदान रजिस्टर तथा

(5) प्रतिभूति जमा (Security Deposit) रजिस्टर

(ii) अभिलेख जिसका सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) नहीं किया जा रहा था

(1) Fuel वुड (श्मशानघाट के लिए) स्टॉक रजिस्टरः–

दिनाँक 29.9.12 (पृष्ठ 47) के उपरान्त अधूरा पड़ा था व इस तिथि के उपरान्त केवल लकड़ी खरीद के तीन बिलों की प्रविष्टि खाली पेज छोड़कर पृष्ठ 49, 53 व 54 पर की गई थी।

(2) डाक टिकटों का रजिस्टरः– 10.10.11 (पृष्ठ 66) के उपरान्त अधूरा पड़ा था जैसा कि पैरा में भी वर्णित किया गया है।

(3) लेखन व कार्यालय सामग्री स्टॉक रजिस्टरः– सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) नहीं किया जा रहा था जैसा कि पैरा में भी वर्णित किया गया है।

(4) सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टरः– सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) नहीं किया जा रहा था जैसा कि पैरा में भी वर्णित किया गया है।

(5) Street light स्टॉक रजिस्टरः– सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) नहीं किया जा रहा था। न तो हस्तगत स्टॉक के शेष ही निकले जा रहे थे और नही स्टॉक प्राप्ति का सही व पूर्ण विवरण ही दिया जा रहा था।

उक्त अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इनमें छानबीन उपरान्त नियमानुसार यथाचित कार्यवही करने के साथ–साथ वर्णित अभिलेख का सही ढ़ंग से रख–रखाव व अध्यतन (updation) करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

49 नगर परिषद के अभिलेखों के रख–रखाव में की जा रही अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के अभिलेखों के रख–रखाव में कई प्रकार की कमियाँ पाई गई जैसे कि रजिस्टर में कुल जितने पृष्ठ हो उन कुल पृष्ठों की संख्या का तथा रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों/कटिंग्स/ओवर राईटिंग्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न किया जाना, invendory register का रख रखाव न करना तथा रजिस्टरों पर inventory nos, न लिखना आदि। पंजिकायें जिनमें उपरोक्त कमियाँ पाई गई उनमें कुछ का विवरण निम्नानुसार है। अतः इन कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हों यह भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	पंजिका का मद
1	माँग एवं संग्रहन पंजिका, शॉप रेंट (2012–13)
2	माँग एवं संग्रहन पंजिका, शॉप रेंट (2013–14)
3	दैनिक रोकड़ संग्रहन पंजिका (28.1.12 से 28.2.14)
4	दैनिक रोकड़ संग्रहन पंजिका (1.3.14 से आगे)
5	पैन्शन रोकड़ बही (1.12.12 से आगे)
6	ग्रेचुटी रोकड़ बही (13.1.13 से आगे)
7	सी0पी0एस0 रोकड़ बही (1.6.09 से आगे)
8	रोकड़ बही (2012–13)
9	रोकड़ बही (2013–14)

50 अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने पर भी निम्नलिखित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह अभिलेख आगामी अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमाँक	राशि (₹)	दिनाँक / रोकड़ बही पृ0सं0	अभिलेख का विवरण	टिप्पणी
1	31000	19.3.14 / 290	फाग मेले के दौरान प्लाटों की नीलामी से प्राप्त आय	रोकड़ बही में रसीद संख्या की प्रविष्टि न होने तथा सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्राप्त आय ₹31000 / — के सही होने की पुष्टि नहीं हो सकी।
2	300000	21.3.13 / 312	फाग मेले के दौरान झूले की नीलामी से प्राप्त आय	कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से आग्रह करने पर भी नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण प्राप्त आय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3	100000	22.3.13 / 313	—यथोपरि—	—यथोपरि—
4	200000	28.3.13 / 316	—यथोपरि—	—यथोपरि—
5	230000	30.3.13 / 318	—यथोपरि—	—यथोपरि—
6	125000	28.3.13 / 316	फाग मेले के दौरान साईकिल स्टैंड की नीलामी से प्राप्त आय	—यथोपरि—
7	5000	3 / 13 / 314	मकान के नक्शे पारित करने से सम्बन्धित	रसीद संख्या 8 (544) दिनाँक 23.3.13 द्वारा प्राप्त किये गये परन्तु सम्बन्धित अभिलेख जिसके आधार पर यह राशि प्राप्त की गई थी वह

				अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्राप्त ₹5000/— के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
8	——	———	रसीद बुक रजिस्टर	कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से आग्रह करने पर भी यह अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण चयनित मासों में इस्तेमाल की गई रसीद बुकों का मिलान रसीद बुक में की गई प्रविष्टियों से नहीं किया जा सका।

51 **लघु आपति विवरणीः—** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

52 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय—2 पर अध्यतन (updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है ताकि परिषद निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/—

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः(V)42फिन(एल0ए0डी0)खण्ड—2—7543—7544 दिनांक,11.12.2014 शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171001
2. सचिव, नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

पंजीकृत

हस्ता/—

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" **पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित**

गत अंकेक्षणः– गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/62 से 12/64

1	पैरा–7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/65 से 1/69

1	पैरा–3	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/69 से 11/70

1	पैरा–7	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/70 से 08/72

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/72 से 3/77

1	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–17 व 19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/82

1	पैरा–6 व 7	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत

7	पैरा—10	अनिर्णीत
8	पैरा—23	अनिर्णीत
9	पैरा—41	अनिर्णीत
10	पैरा—42	अनिर्णीत
11	पैरा—47 व 48	अनिर्णीत
12	पैरा—53 व 56	अनिर्णीत
13	पैरा—62, 65, 66 व 69	अनिर्णीत
14	पैरा—73, 74 व 77	अनिर्णीत
15	पैरा—78 (एफ) (1) (2)	अनिर्णीत
16	पैरा—80 व 83	अनिर्णीत
17	पैरा—92, 93, 94, 95 व 97	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/84

1	पैरा—6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—16 (ए) (सी) (एल)	अनिर्णीत
3	पैरा—19 (2) से 19 (27) तक	अनिर्णीत
4	पैरा—21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/87

1	पैरा—5, 6, 7	अनिर्णीत
2	पैरा—9, 10, 11, 13, 14 (ए) 17, 24, 25	अनिर्णीत
3	पैरा—26 (10) (16) (22)	अनिर्णीत
4	पैरा—27 (1)(2)(4)(5)(8वीं)(8सी)	अनिर्णीत
5	पैरा—27 (10) से 27 (21) तक 27 (24) सें 27 (27) तक	अनिर्णीत
6	पैरा—31	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–19, 21	अनिर्णीत
3	पैरा–23 (1) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–24	आंशिक अनिर्णीत
5	पैरा–25 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–28, 29, 30, 31	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/91

1	पैरा–5 (क) (1)	आंशिक अनिर्णीत
2	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ग)	आंशिक अनिर्णीत
5	पैरा–6 (घ)	आंशिक अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (1) (20)(30)	अनिर्णीत
8	पैरा–8, 9 (1) (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–10	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (घ) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (छ) (1) व (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (ङ) (3)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (3) (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (4) (वार्ड नं0 2 से 11)	अनिर्णीत
16	पैरा–17 (ख) (1 से 4)	अनिर्णीत
17	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–22 (क, ख)	अनिर्णीत

19	पैरा—23, 24 (क से च)	अनिर्णीत
20	पैरा—25 (1 से 9)	अनिर्णीत
21	पैरा—28 (क, ख) (1), 28 (ख) (2)	अनिर्णीत
22	पैरा—28 (ग), 29, 30	अनिर्णीत
23	पैरा—25 (11)	अनिर्णीत
24	पैरा—25 (13 से 19)	अनिर्णीत
25	पैरा—25 (21 से 30)	अनिर्णीत
26	पैरा—26, 27 (क, ख)	अनिर्णीत
27	पैरा—33	अनिर्णीत
28	पैरा—34 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा—34 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा—35 (2)	अनिर्णीत
31	पैरा—35 (3)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/99

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा—7	अनिर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—13	अनिर्णीत
6	पैरा—16 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा—17 (क, ख)	अनिर्णीत
8	पैरा—18	अनिर्णीत
9	पैरा—22 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा—22 (ग) (xiv)	अनिर्णीत
11	पैरा—22 (ग) (xv)	अनिर्णीत
12	पैरा—22 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा—22 (ङ)	अनिर्णीत

14	पैरा–23	अनिर्णीत
15	पैरा–24 (क)(ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–26 (क) (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–27 (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा–27 (ज) (झ)	अनिर्णीत
19	पैरा–28	अनिर्णीत
20	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा–30	अनिर्णीत
22	पैरा–31 (च)	अनिर्णीत
23	पैरा–32 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा–34 (ग)	अनिर्णीत
25	पैरा–34 (ञ)	अनिर्णीत
26	पैरा–34 (ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा–34 (ण)	अनिर्णीत
28	पैरा–34 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा–34 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा–34 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–34 (छ)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2007

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–3	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ए) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (बी) (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (बी) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (बी) (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (बी) (4)	अनिर्णीत

10	पैरा–4 (बी) (5)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (सी) (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा–4 (सी) (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–4 (सी) (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–4 (सी) (4)	अनिर्णीत	
15	पैरा–4 (सी) (5)	अनिर्णीत	
16	पैरा–4 (सी) (6)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
17	पैरा–4 (सी)(7)(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा–4 (सी)(8)(1)	अनिर्णीत	
19	पैरा–4 (सी) (9)	अनिर्णीत	
20	पैरा–4 (सी) (10)	अनिर्णीत	
21	पैरा–4 (डी)	अनिर्णीत	
22	पैरा–4 (ई)	अनिर्णीत	
23	पैरा–4 (ई) (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा–4 (ई) (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा–4 (ई) (3)	अनिर्णीत	
26	पैरा–4 (ई) (4)	अनिर्णीत	
27	पैरा–4 (एफ) (1)	अनिर्णीत	
28	पैरा–4 (एफ) (2)	अनिर्णीत	
29	पैरा–4 (एफ) (3)	अनिर्णीत	
30	पैरा–4 (एफ) (4)	अनिर्णीत	
31	पैरा–4 (एफ) (5)	अनिर्णीत	
32	पैरा–4 (एफ) (6)	अनिर्णीत	
33	पैरा–4 (एफ) (7)	अनिर्णीत	
34	पैरा–4 (एफ) (8)	अनिर्णीत	
35	पैरा–4 (एफ) (9)	अनिर्णीत	
36	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
37	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	
38	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत	

39	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत	
40	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत	
41	पैरा–6 (7)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत	
44	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत	
45	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	
46	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
47	पैरा–7 (3)(1)	अनिर्णीत	
48	पैरा–7 (3)(2)	अनिर्णीत	
49	पैरा–7 (3)(3)	अनिर्णीत	
50	पैरा–7 (3)(4)	अनिर्णीत	
51	पैरा–7 (3)(5)	अनिर्णीत	
52	पैरा–7 (3)(6)	अनिर्णीत	
53	पैरा–7 (3)(7)	अनिर्णीत	
54	पैरा–7 (3)(8)	अनिर्णीत	
55	पैरा–7 (3)(9)	अनिर्णीत	
56	पैरा–7 (3)(10)	अनिर्णीत	
57	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	
58	पैरा–8.2 (1)	अनिर्णीत	
59	पैरा–8.2 (2)	अनिर्णीत	
60	पैरा–8.2 (3)	अनिर्णीत	
61	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
62	पैरा–9 (2)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
63	पैरा–10	अनिर्णीत	

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/2010

1	पैरा–5 (क) से (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (क से द)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (क से ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (ड से छ)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (ण से ट)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (क से ठ)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (ढ से द)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (क से च)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (क से ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (क से घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–13 (क से छ)	अनिर्णीत
12	पैरा–14	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (क से ग)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा होने पर)
2	पैरा–5	अनिर्णीत	
3	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
6	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
7	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
8	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
9	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
10	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
11	पैरा–7.6	अनिर्णीत	
12	पैरा–7.7	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
13	पैरा–7.7.1	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)

14	पैरा–7.8	अनिर्णीत	
15	पैरा–7.9	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
16	पैरा–7.9.1	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
17	पैरा–7.10	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनुसार)
18	पैरा–7.11	अनिर्णीत	
19	पैरा–7.12	अनिर्णीत	
20	पैरा–7.13	अनिर्णीत	
21	पैरा–7.14	अनिर्णीत	
22	पैरा–7.15	अनिर्णीत	
23	पैरा–7.16	अनिर्णीत	
24	पैरा–8	अनिर्णीत	
25	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
26	पैरा–8.2	अनिर्णीत	
27	पैरा–8.3	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
28	पैरा–8.4	निर्णीत	(–यथोपरि– व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में updation पर)
29	पैरा–9	अनिर्णीत	
30	पैरा–10	अनिर्णीत	
31	पैरा–10.1	अनिर्णीत	
32	पैरा–10.2	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
33	पैरा–10.3	अनिर्णीत	
34	पैरा–10.4	अनिर्णीत	
35	पैरा–10.4.1	अनिर्णीत	
36	पैरा–10.5	अनिर्णीत	
37	पैरा–11	अनिर्णीत	
38	पैरा–11.1	अनिर्णीत	
39	पैरा–11.1.1	अनिर्णीत	
40	पैरा–11.2	अनिर्णीत	
41	पैरा–11.3	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)

42	पैरा–11.4	अनिर्णीत	
43	पैरा–11.5	अनिर्णीत	
44	पैरा–12	अनिर्णीत	
45	पैरा–12.1	अनिर्णीत	
46	पैरा–12.2	अनिर्णीत	
47	पैरा–12.3	अनिर्णीत	
48	पैरा–13.1	अनिर्णीत	
49	पैरा–13.2	अनिर्णीत	
50	पैरा–14	अनिर्णीत	
51	पैरा–15	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)